NISA
National Independent Schools Alliance
a bilingual magazine
by the NISA Family

namaskar

Affordable Schooling, Commendable Learning
VOLUME 5 ISSUE 1 | JUNE-SEP 2019

A Sinking Ship?

Draft National Education Policy 2019 -Observations and Suggestions.

CONTENTS

Editor's Desk

02 Schools should be allowed to make profit?
AVINASH CHANDRA

President's Message

04 School Management Committees in private schools would be disastrous
KULBHUSHAN SHARMA

Education

05 Reimbursement
Adv. PRASHANT NARANG

06 Have a Single Window System to establish schools
S MADHUSUDHAN

07 Let there be three kinds of schools
BHARAT MALIK

08 Regional aspects cannot be ignored
MARTIN KENNEDY

09 Encourage Edupreneurs
DEEPAK KHAITAN

10 All will benefit if autonomy is given to schools
RAJENDRA SINGH

11 Medium of Instruction is the choice of the parent
SHASHI KUMAR

12 Why are the management related responsibilities of the private institutions with their management system?
DR. SUSHIL KUMAR GUPTA

13 NEP: Accept the reality Stop Hypocrisy!
DR DILIP MODI

NISA

14 NISA Recommendations

Education

17 The long awaited draft NEP 2019
FR. JOSEPH MANIPADAM

18 Poor remedies to learning crisis: Draft National Education Policy amounts to rearranging deck chairs on the Titanic
GEETA KINGDON

20 Government doesn't require an education policy; it requires a clear-cut action plan because that is missing on the ground
ANIL SWARUP

NISA

22 Call for quality schools assessments -National Initiative of Quality Schools in Action (NIQSA)

24 Nisa Singapore & London delegation

NISA Communique

25 Media

26 NISA National and State Activities

NISA Members

28 NISA Association Members

National Independent Schools Alliance

National Independent Schools Alliance (NISA) is the unified voice of Budget Private Schools (BPS) in India, that aims at improving access to affordable and quality education for the economically weaker students.

22 States, **45** Associations
55,000+ Schools,
22,00,00,000+ Students

Become a member today! Join NISA

/nisaindia.org /nisaedu
National Independent Schools Alliance

One Year Subscription:
Cheque/draft of INR 500,
in favour of NISA Education

EDITORIAL OFFICE
A-69, Hauz Khas, New Delhi-110016, India
Tel: 011 2653 7456
website: www.nisaindia.org

For sales, subscription, advertisement or any other query,
Contact: **nisa@nisaindia.org**

Schools should be allowed to make profit?

AVINASH CHANDRA
Editor

Today, this is the common notion that the quality of education provided by private schools is better than government schools. Not surprisingly, people prefer to a private school, even if they are more expensive. However, this is also a fact that we have a huge shortage of 'good' private schools. But why is it so?

The issue of expensive education in private schools has always been 'hot' in the political corridor. During the past decade, this issue took such a serious stand that the entire election campaign began to be central on this issue. The current Government of Delhi even promote the move to strictly control school fees as one of its greatest achievements. Imitating Delhi, others states such as Maharashtra, Gujarat, UP, Andhra Pradesh, have also implemented fee control laws in their territories and, many other States are trying to implement similar laws. The argument is that the teaching and School Operations in the country is Non-profit (not for profit) activity, and it cannot be allowed to make profit.

This cannot be ruled out that the expensive and uncontrollably ever increasing private schools' fee is a big problem for the parents. This problem must be solved. But the increase in both, the school fees and increasing numbers of parents who are frustrated by the inability to enroll their children in the school, is enough to clarify that everything is not going well with our education system. The problem became even more serious after implementation of the Right to Education (RTE) 2009 act, guaranteeing free and compulsory education. Why did it happen?

Rising prices are not the problem, rather rising prices are just an indicator of the inherent problem in the system. Policymakers should keep an eye on this indicator and a solution should be explored, rather controlling it and wiping the very source of getting the information altogether.

The responsibility of providing education is unnecessarily taken over by the Government in the pretext of the welfare state and private institutions are only expected to supplement it.

After the enactment of the Right to Education Act, the need was to open many more schools. But setting up of new 'quality' school by the government is rarely seen. Even the existing schools are also deprived of basic amenities, and do not provide such education so that they may be classified as 'good' schools.

On the other side, every possible effort has been taken by the government for closure of small and budget schools that used to provide quality education at par or less than then per student cost incurring in government operated schools. This was done in the pretext of non-essential rules and laws framed under the Right to Education Act. Most such schools were closed, that did not meet the requirement of minimum land and number of rooms as per the RTE law.

Today, this is the common notion that the quality of education provided by private schools is better than government schools. Not surprisingly, people prefer a private school, even if they are more expensive. However, this is also a fact that we have a huge shortage of 'good' private schools. But why is it so? In fact, there is a lack of incentive for opening a lot of new quality schools in the country.

Just imagine what needs to be done to establish a good private school! Land purchased at commercial rates, suitable building, furniture as required to become a modern school and most importantly, teachers with the requisite experience and qualifications. In addition, there are all the more expenses such as maintenance costs and employees' salaries that always keep increasing. Also, if a new course is to be started or a new teacher to be hired, then that also costs extra! Then comes the turn of getting endless permissions and NOCs from various departments. In a city like Delhi, completing all these procedures, the cost of opening a school is stand at least Rs 10 crore.

It's worth paying attention that a not-for-profit sector is unnecessarily criticized for fees charged by it. Any increase in charges is criticized, but the quality education that is provided by them is hardly mentioned anywhere.

Often, even knowing the fees and other expenses charged by these schools, parents want their children to be enrolled here and once they got admitted their ward, they start protesting against the fees.

Standard fees are fixed for every private school. 8 per cent increase in fees annually means A school that charges Rs 8,000 per month cannot be compared with a school charging a fee of Rs 500 per month. In fact, running a school requires an annual grant of over Rs 1.5 crore!

Another aspect is the Right to Education Act, which mandates that 25 percent admission in the schools be from the students belonging to economically weaker section [EWS]. In addition to this, there is also a provision for such students to be promoted to the next class every year, whether they are suitable or not fit for it. Up to Class VIII, after which the student has to leave the school, schools have to keep on promoting them. It is beyond comprehension as to what good will it do for the students. Such students deprive other students of the general class from opportunities, who are not getting admission because of the reservation system.

In addition to this, the Act provides for payment to schools by the Government for admission of EWS students, but does the Government do it? The Supreme Court has ruled that no child should pay for another child's education, but when the Government does not pay for EWS students or does not pay on time, then in fact it happens.

No nation can progress and improve until there are good schools for all children. In such a situation, the requirement of more schools is self-evident. There is very little expectation of many newer government schools to come in existence, because we have the ruling authorities who are fond of presenting populist 'lollipop' in hopes of getting votes instead of spending on schools and other social needs.

Evidently, all hopes for building new schools rests on the private sector, but for it to happen, the government should keep itself away from the job of determining the limit of annual increase in fees, at the same time If the purpose of private schools is purely commercial, even then, they should be allowed to come forward.

The greater the number of schools, more will be competition among them, which will surely improve the quality of education and make them affordable too! To attract students, the schools have to improve their level further. The higher the number of students going to expensive schools, lower will be the pressure to admission in less expensive schools. The Government will have to simply focus more on the quality of education provided by schools.

Compared to private schools, what is the contradiction in the attitude of the Government towards private hospitals? Whatever these hospitals charge, there is no obstruction on that? Due to opening of so many private hospitals, it totally depends on patients that where can they afford to get their treatment? These private hospitals have eased the pressure on government hospitals, while in the case of private schools, the Government is concerned only about fees.

Our country can't achieve that desired place among the noble nations, unless we ensure a good education facility for the children.

KULBHUSHAN SHARMA
President, NISA

School Management Committees in private schools would be disastrous

Big 'No' to School Management Committees

The proposal for imposition of School Management Committee (SMC) in private schools would have adverse consequences. It is tantamount to infringement on freedom. It is against the very principle of autonomy. Private school managements invest and design a school with a vision and purpose. It is their sole right to take their ideas forward.

School Finance Corporation

There is a perceptible change in the mindset of the population. Right from daily wage laborers to servant maids are aspiring to send their children to private schools. There is a need to set up a School Finance Corporation which would help build infrastructure. At present, banks do not provide loans for building schools. There are several schools that were established decades ago that need to move to the next level. Low-interest loans for upgradation of schools setting up of new schools would go a long way.

Let schools decide which board to follow

Private schools are abiding by the rules and are following the diktats. After the customary re-recognition procedure is done every three years, the school management should be left alone to decide which board it wished to choose.

The implementation is left to the imagination. The draft talks about establishing world-class facilities with school complexes in villages but does not prescribe how it would tackle the issue of one lakh schools that have just one teacher.

The draft wants people to believe that admissions would pour into public schools once the recommendations are enforced. DNEP is a policy document that identifies issues but does not provide an action plan on implementation. Ironically, the ministers who propose the changes themselves

A central government employee gets an education allowance of 2,250 month per child and never thinks twice of sending his or her child to a government school.

send their children to private schools. While the voluminous document spells out a wide array of suggestions, there is little for the enhancement of private schools. A central government employee gets an education allowance of 2,250 month per child and never thinks twice of sending his or her child to a government school.

Everyone agrees that the road to arming the younger generation (52% of the present India was born after 1991) and who are looking at private schools for education need a fillip. Sample this: 75 million school students in the 350,000 private unaided schools in India that constitute 24% of the schools need to be taken into consideration.

Reimbursement

Advocate PRASHANT NARANG
Centre for Civil Society

Section 12(1)(c) of the Right of Children to Free and Compulsory Education makes it compulsory for all private unaided school to admit children from economically weaker sections and disadvantaged backgrounds. Such schools must block 25 per cent of their seats for this purpose. The state government would reimburse the schools at their fee or its cost of education a child in government schools, whichever is lower.

It is expropriation and such law should be narrowly construed. However, most courts have interpreted it expansively. Now, in several states, nursery class is also included. Some states also want schools to provide uniforms and books as well.

For schools, this section can be most problematic if the reimbursements are not made in time. In Delhi, for example, schools get reimbursed after 2-3 years. Lengthy administrative procedures for approval have no deadline. Babus can object to a claim at any stage. There is no set frequency. Once in three years or four years, erratic payments is a common practice.

School owners share that concerned officers charge 2-5 per cent commission on the payment to be released. It is not surprising.

These trends are disturbing.

Lengthy administrative procedures for approval have no deadline. Babus can object to a claim at any stage. There is no set frequency. Once in three years or four years, erratic payments is a common practice.

School Associations must demand a five-point charter called "ease of reimbursements for EWSD admission" to be implemented in their states.

One, state's recurring expenditure on education as well as the number of students in government schools for last year must be put in the public domain before the end of financial year.

Two, schools must be paid quarterly or at least, half-yearly, to begin with.

Three, if the payments are delayed beyond a certain time-frame, interest must be paid along with the dues.

Four, if no objections are raised within certain time-frame, it should be presumed that the documents are approved for reimbursements.

Five, the Department should pay directly to the parents for uniforms and books. It may transfer the money to their bank accounts after they submit the bills. Schools cannot be asked to make books and uniform available to the children at government-fixed rates. This is expropriation that RTE does not expressly validate/ mandate. Schools provide education but neither they produce books and uniforms, nor do they sell books and uniforms. It is an unfair and excessive burden on the schools to expect them to pay for uniform and books.

All school owners must unite for this cause and have this charter implemented!

Have a SINGLE WINDOW SYSTEM to establish schools

ON SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE

Presently, the School Management Committee (SMC) in government schools oversees if there is infrastructure and if the teachers are present. The essential function is to see there is no absenteeism by teachers. The SMC does not interfere in financial matters.

The proposal for SMCs in private schools would destroy the system. While the members would dictate terms but would not be responsible for the financial inputs that the private management would bear. This is unfair in any which way one looks at.

NO PROTECTION TO SCHOOLS

There have been several cases across the country of teachers and the head of institutions being manhandled. There is a dire need for a school protection Act. An assault on a teacher or a Principal should be a non-bailable Act. It is said that a teacher was revered as a guru in India, one who was looked up by one and all. Sadly, we have reached a stage when they need to be protected.

AMEND RTE, BRING DBT

Direct Benefit Transfer (DBT) has eliminated middlemen in the farming sector especially in Telangana state. The RTE Act needs to be amended and DBT should be implemented. This would have multiple benefits as parents would have the choice to admit their children in a school of their choice.

REGULATIONS

State governments over the decades have brought changes in specifications for school buildings. The National Building Code 2004 was implemented in 2009. There are several schools that date back to several decades and were established as per the existing norms then, asking them to comply with the present is incorrect.

While retaining the trust/society nomenclature, it is recommended to provide provision for starting and, or converting the existing Private schools as the case may be as Registered firms for profit and bring them under GST.

Establishing a school is fraught with a lot of complications. There is a need to reduce red tape and multiple clearances and pave the way for a single-window system.

CAPACITY BUILDING

Government school teachers are provided continuous professional development training. There should be a provision for all private school teachers too.

Better still, give a choice for people wishing to establish schools to choose between non- profit and for profit.

Creation of a monolith structure such as Rajya Shiksha Aayog (RSA) as an apex body for monitoring, regulation of all educational institutions and policy making is well intentioned. But, can it encompass the whole of India which is so complex is what educationists are asking.

The sheer complexities would make it, if not impossible, but hardly feasible for RSA to oversee. You have the up-market schools in the hills, as against the millions in the plains and towns in the cities, the urban (read English speaking) versus the rural schools, the one-teacher for 28 students schools where parents do not mind spending versus the jam-packed classrooms where the sole aim of the teacher is to rush through the syllabus.

S MADHUSUDHAN
Vice President, NISA

A contentious issue in the DNEP is the role of School Management Committees (SMC). The draft policy states:

> "Teachers and principals are often not allowed to take decisions of a local nature that they should be taking, this includes a choice of pedagogical approaches and teaching-learning materials, matters of setting the time table and basic financial matters that are important to the daily functioning of the school.
>
> "Yet the teachers and principals are made accountable to SMC's constituted primarily of parents and elected representatives of people (local, corporate, etc. i.e. politicians) on them, who will dictate to the teachers and principals on issues of everyday functions."

Advocates of laissez faire for private schools say that the per pupil expenditure on teacher salary of the government sector is ₹ 4,326 per month in 2017-18 but the state of affairs in terms of output is far from satisfactory. In such a scenario, it is the private schools that need to be nurtured.

Welcoming the draft policy recommendation of 5+3+3+4 model from nursery to grade XII, Madhusudan of NISA says,

> "The draft policy intentions are good but there is a need to also show a path forward in implementation."

Let there be three kinds of Schools

ON BUDGET SCHOOLS

These budget schools have main issues because the fee in these schools ranges from 6000-30,000 rupees per annum. These are the schools which are working for the masses. When a child or a parent decides to move out of government schools because he wants his child to study in private schools, he chooses according to his affordability and as per income. These budget schools, under the RTE act are going under pressure and are getting closure notices. Now what happens to these school students, what are their alternatives after getting quality education?

These budget schools have main issues because the fee in these schools ranges from 6000-30,000 rupees per annum. These are the schools which are working for the masses. These schools should be protected.

So let there be three kinds of schools

1. GOVERNMENT SCHOOLS
2. CHARITABLE SCHOOLS
3. PRIVATE AUTONOMOUS (for Profit) SCHOOLS (taxable)

Let there be separate third party Syllabus Framing, Examination & Evaluation Autonomous Body common for all the three categories.

MAHARASHTRA SCENARIO

Many of the schools have not got fee reimbursement for the last six years and somewhere the money is

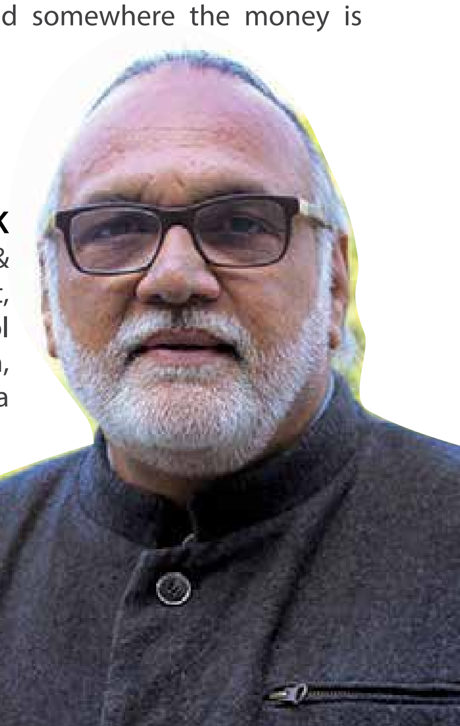

BHARAT MALIK
NISA founder member & former president, Private Unaided School Management Association, Maharashtra

not coming in right proportion. All these are putting pressure on schools because of RTE admission. If money doesn't come on time, the school's financial situation is going to get worse. In this process, the schools will not be able to sustain.

ON FEE REGULATION

Fee regulation Act is a state subject. Many governments have made fee regulation Acts. The important thing is PTA (Parent Teacher Association) & school management has to sit down and discuss that is how it can be done. Because of this Act, the sustainability of the schools and quality gets affected. Many times, parents do agitation against the schools. That agitation disturbs whole environment of the society and community. Best example is Gujarat state that is badly affected due to this fee regulation Act. Now these agitations lead to litigation- from there to Supreme Court. The school management has to spend huge amount during this process and these process finally affects children only. The cost of litigation also goes on these children.

If NEP comes and stakeholders are taken into consideration, they should identify the ground reality faced by the schools. Most important factor is autonomy which will build more institutions to come in, help the community and serve the society. Too much of regulation leads to more corruption, hence there should be a single window process that eases the procedure to open new schools. This must be the top priority.

CATEGORIZE SCHOOLS

In 70 years of independence we can have three types of schools: **Government run schools**, **Trust run schools** and **Schools for profit**.

Why don't we accept the truth and give Young India freedom and choice of education?

REGIONAL ASPECTS
cannot be Ignored

STATE OF AFFAIRS IN TAMIL NADU

In Tamil Nadu after 12 years, the government has brought a major change in curriculum by making it more or less similar to CBSE. It should be introduced in phased manner instead of introducing at once. It affects students study pattern also as, now the syllabus & curriculum is different from what they were experiencing earlier. The books become heavy, huge portion, teaching methodologies, etc. gets affected.

EDUCATION IN PROFIT MODE

Education should definitely be brought to a profit mode. There should be freedom from the hands of the government and autonomy also has to be there. We are ready to pay taxes so we want autonomy in economic side also. Apart from the autonomy which we have in administrative aspects, we also want in economic side.

The most important problem is RTE & government should reimburse the 25% fee for economically weaker section students enrolled in private schools.

The reimbursement is getting delayed, sometimes not paying three-fourth of the amount too which burdens the school.

The option to choose between non-profit and for-profit model should be available to the existing as well newly opening schools.

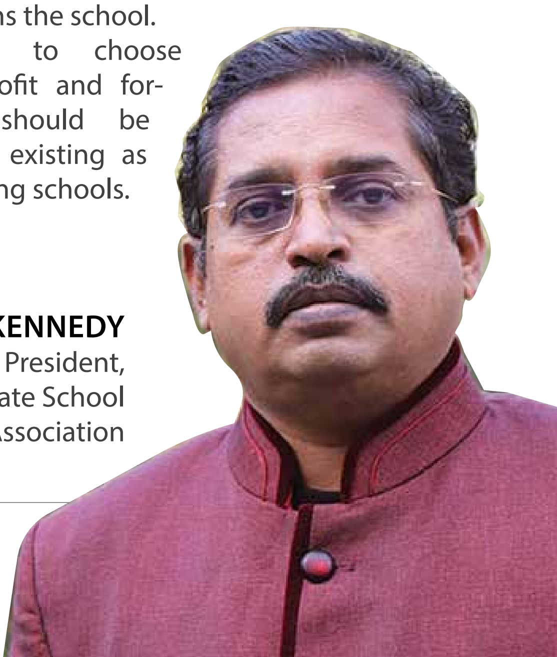

MARTIN KENNEDY
President,
Tamil Nadu Private School Association

Encourage EDUPRENEURS

ON EDUCATION AND PROFIT

It should be profit mode; every educational entrepreneur is making some money. Because people who have come into education field are passionately working in schools and if they had been so commercial, they would have started other business. It should be legalized and should be made for profit; I mean it should be legally made.

CHALLENGES

The NEP committee has five persons & out of five, four are bureaucrats and one person is already a controversial academician. We want education to turn out global citizens. The present system of education roots are based in constitution which says that education should be scientific temperament as its base. Unfortunately the NEP is devoid of scientific approach and has roots in history.

FOR PROFIT AS RIGHT NOW IT IS ILLEGAL.
ENCOURAGE EDUPRENEURS.

ON EDUCATION AND PROFIT

What do we get by being non-profit institutions? We spend huge amount for the field of education. Education is considered a Corporate Social Responsibility (CSR). There should be an option whether the school entrepreneurs want to make it to CSR or profit mode.

Autonomy is the only solution. Popular judgement of 11 judges (TMA-Pai) - schools should have reasonable autonomy. Based curriculum then there is no problem in one nation- one curriculum. Now they can use their own content to teach specific concepts. It should be a learning outcome-concept based curriculum.

DEEPAK KHAITAN
President,
All Goa Government Recognized
Unaided Schools Association

All will benefit if AUTONOMY is given to schools

CHALLENGES

Primarily it is with RTE Act, as schools are getting closed due to burden. The number of students is increasing and the amount of fee reimbursement is getting delayed, which is increasing & becoming unbearable. Since the last few years we had many GRs (Government Regulations) from the government of Maharashtra which are contradictory to previous GRs & the law. GRs are also not in the well-being of the students. After that the license raj has grown up & the harassment, the corruption has increased a lot. Many times paper work increases, the work not being online ultimately leads to corruption. Corruption is a means of harassment, reducing paper work & making it transparent will reduce corruption. These are the primary concerns.

ON AUTONOMY

It is very clear that in the present scenario, autonomy is the key to the success of education. Autonomy also has to be supported by government by giving appreciations to the entrepreneurships- in opening schools, by giving them ease, etc. Finally, parents will benefit as they can approach various schools with variety. They can choose the quality, curriculum, extracurricular activities, and there will be less competition. To reduce the cost, appreciations & support system should be given to new entrepreneurships by the government which will lead to healthy competition. Healthy competition is always good which will bring out better quality, better inventions and with full liberty these entrepreneurs will bring the best out of them. The complete focus will be the development of that particular school & students. Government schools should also run under anautonomous programme where the principal or a particular

SCHOOL LEADER CAN WORK TOWARDS QUALITY BENCHMARK.

RAJENDRA SINGH
Working President,
Independent English Schools Association of Maharashtra

MEDIUM OF INSTRUCTION
is the choice of the parent

HURDLES FROM THE GOVERNMENT
First and foremost, in the inspector raj, corruption prevails. When you go in associations or in groups, there will be resistance. Or else, the individual people will be harassed and corruption will be huge. In order to control this, the associations are essential. Third, their own rules & regulations are not questioned. In order to see that they are properly put across, we need to raise our voice.

CHALLENGES FROM STATE GOVERNMENT
The first challenge is **medium of instruction** for which we fought for 23 years, and now it is the law of the land. The regional language is a fundamental right of a parent, so now, after we fought in Supreme Court, the constitutional body gave a judgment. We won after 23 years of long fight. Now it is the law of the land i.e. the victory of the country. In simple words, the medium of instruction is the choice of the parent on behalf of his/her child.

Second is **we fought with fees policy** as the government want to rigidly fix it. We made government to understand that you are not the authority to fix and you are only the authority to regulate. After lot of deliberations we could succeed to a certain extent and now, Karnataka has the best formula to regulate.

Third is **RTE**, there were lot of hiccups and corrections. Once it was welcomed we had a lot of deliberations, court cases and now the government of Karnataka has realized what actually the Act is. They have diluted now by first taking responsibility of implementing RTE in their own school. Then, if there are no schools available in the city of 1 to 5 kms, it would be admitting in private unaided school. Finally, government has realized its responsibility but still they owe ₹1,600 crore to private unaided schools. This continues for the victory of the next seven years.

Any education department will make rules & regulations. Unfortunately, they never follow in their own schools and in the aim of implementation, they always harass.

CHALLENGES IN IMPLEMENTING FEE
Fees regulation is the subject matter of private unaided schools. It is very clear that every private unaided school can fix a reasonable fee as per their own facilities, infrastructure and along with service. Any government has no right to rigidly fix but it can regulate. But in the name of regulation government tries to fix the fees. It is also the subject matter of that pronounced in (TMA-Pai) Government of Karnataka in Para 50. So government has to follow the law.

SHASHI KUMAR
General Secretary, Associated Management of English Medium Schools in Karnataka

Why are the management related responsibilities of the private institutions with their management system?

In ancient india, the education was aimed at making the students multi-talented. The education imparted at that time made a person self-reliant, thinker and righteous. The foundation of ancient Indian education system was very strong. With the change of time, there was a difference in the teaching system.The Britishers, first of all, demolished our education system to subjugate India. The purpose of ancient Indian education was lost somewhere. The aim of education, which was the development, self-reliance, character building of human beings, was replaced by just only getting jobs. The attainment of education has become a means of getting jobs today. Today's education system can neither produce good citizens nor give good soldiers.

After independence, on the one hand, we lacked resources and on the other hand the population grew at a rapid pace. Therefore, the government was not quite able to provide proper education for a large population, so the Government of India gave unconditional incentives to the private sector in the field of education, which helped to raise the level of education in the country. To promote private sector in the field of education, the government has taken several steps, such as giving financial assistance to private institutions, scheme of grant for them, making land available for educational building at low price etc. With the government's encouragement, the quality of education is continuously improving with the advent of private institutions in the field of education. Through these, the youth are getting employment.

But it is a matter of great regret that there seems to be an attempt to suppress that very private sector in the new draft education policy, which the government had been once encouraging to improve the educational level of the country. The government provides a large amount of budget for basic education in government-run schools. You and all of us are well aware of the standard of education in government schools. Barring the top leaders, actors, administrative officers, not even a common man is willing to send his children to a government school, the main reason is the quality of education. Schools in the private sectors are managed in such a way that the quality of education progressively increases, not declines.

In the direction of the all-round development of the students, the management of the school is set to be indirectly handed over from the management system to the representatives of the people, social workers, parents. The school is a place where the welfare and development of students is paramount, not political manipulation. Further, the secondarying of the management system, that promotes new technology and method keeping in view the interest of the students, will definitely reduce the quality of private institutions. If the government has to improve the educational level, it should make all possible efforts to improve the government education system and should keep herself away from the steps of making such rules that lower down the level of such private institutions, that constantly strive for making the students qualified citizens. There is a need to take initiatives to raise the standard of education by removing corruption in the political and administrative system.

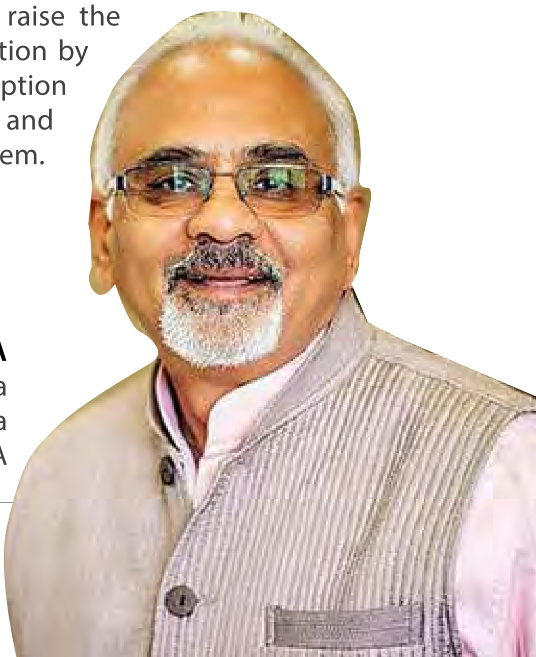

DR. SUSHIL KUMAR GUPTA
Director, Prelude Public School Agra
President, Association of Progressive Schools of Agra
Regional Convenor, Uttar Pradesh and Uttarakhand, NISA

NEP
Accept the reality Stop hypocrisy

If Article 370 can be revoked then... Why can't education be made a profitable sector.

Dr Dilip Modi
Nisa State Coordinator (Rajasthan)
Chairman, Jivem Education, Jhunjhunu

Today when 85% of the graduates are not employable then why are we sticking to the age old traditional education system? Isn't the present education system fooling the youth of our nation by merely handing over them a piece of paper that neither earns them a job nor makes them skillful and does not allow them to work in the fields or in the corporate sector?

A Concern...

The consumer is always at a brighter side in open market scenario. Competition in the market always balances everything. zAfter 73 years of Independence, it's the government's monopolistic view over education that has deteriorated it year by year. Telecom industry is a classical example. If services and tariffs of BSNL and its private competitors are compared, then BSNL lags far behind with a huge margin in all fronts. Same is the case with Doordarshan. Compare Doordarshan with the thousands of privately owned T.V. Channels that continue to give enormous options today. Comparing the monopolistic nature of nationalised banks with the services provided now by private banks are once again an eye opener. Private banks like ICICI, HDFC, HSBC etc. has changed the scenario of banking sector which means that the consumer is benefited when the market is open.

It's true and proven that wherever there is an unnecessary government intervention or influence in any field, the organisation or sector is the one that has underperformed.
Air India, Indian Postal services, SAIL, STCL, MTNL are few examples of under performing government bodies. Privatisation balances good quality and cost. If the education sector is not made autonomous now, it's highly unexpected from people who haven't done anything in the past 73 years to do wonders now!

An average government school, today, is spending Rs. 6,000/- per month on a child in the form of salary to the teachers. A great deal of expense on free schemes, land, infrastructure, furniture and various other expenses are not included in this Rs. 6,000. It's our hard earned money i.e. the tax-payers' that is being squandered. A student who studies in the government schools feels that he is given everything for free so he refrains himself from questioning and we the taxpayers can't question because we don't have any direct control over it. Who will question then?

There is a solution - DBT Scheme i.e. Direct Benefit Transfer of Rs. 3000/- per month can be provided to students and he must be given freedom to select the school of his/ her choice. It's far less than what government is spending at present & they are free to examine the students by any third party assessment tools.

If quality of education is to be improved then schools should be made autonomous else the same process will continue, new governments will come and go and ornamental plans with zero outcome will be made on paper. Neither the students nor the educational institutions are free to receive and impart the type of education they want. When there is a huge difference in various human beings, then how could we even think that same educational system will benefit them all. What have we accomplished so far?

National Independent Schools Alliance (NISA)

Recommendations

1 AUTONOMY TO SCHOOLS

There is constant threat to autonomy of schools in terms timing, fee, teacher salary, curriculum, infrastructural facilities etc. One of main problems with lack of autonomy is lack of motivation, restricted scope for innovation and limited incentive for teachers and principals to perform. It is important that schools are given greater decision making powers and control over resources such as school finances to be able to innovate and improve their schools and classrooms respectively. Decision to detain a child or not should be left to schools based on various factors and it can't be taken by the state.

2 EASE OF OPENING SCHOOLS

In a country where there is need of opening more and more schools, it is disappointing to know how difficult it is to open and run a school. A school depending up on its location and standard (primary, secondary or senior secondary) requires 15 to 36 permissions (certificates, approval, documents) or even more. It becomes even more difficult to run the schools as norms to comply changes from time to time. It is time to introduce 'Single Window Clearance' with regard to getting all permissions in a time bound manner so that more schools can open up and contribute in providing quality education.

3 OUTCOMES BASED REGULATION

One of the main challenges in current approach to regulation of school education is that it is highly inputs driven. i.e. focus of regulation is on infrastructure, teacher salaries, compliance with various norms laid down by the central and state governments etc. This has lead to closure of around 1 Lakh schools across the country. We must introduce a system of regulation where learning outcomes becomes the key factor in regulation of schools, both government and private.

4 RECOGNITION OF SCHOOLS AND CHOICE OF BOARD

State rules under Right to Education Act require recognized schools to take re-recognition every three years. This adds unnecessary burden on schools and opens up the door of corruption and should be taken down. State government grants recognition to schools after inspection of infrastructure to ensure compliance of norms. After school is recognized, it should be free to choose the board (state, CBSE, ICSE etc). Boards should not be allowed to force its own conditions for affiliation. Boards should restrict their role to set syllabus, prescribe books, hold examination, taking up research to improve the quality of education etc.

5 CHOICE TO BE PROFIT OR NON-PROFIT

It is mandatory for schools to be a non-profit entity in India. While schools are not allowed to make profit, schools pay electricity, water, property and other charges at commercial rates. It is important to start considering education as an important component of service industry similar to health, telecom and electricity where entry of for-profit entities has immensely benefitted the sector in terms of both access and quality of services enjoyed by common citizens. The idea is not that all schools must become for-profit entities but the option to choose between non-profit and for-profit model should be available to the existing as well newly opening schools.

6 FUND STUDENTS, NOT SCHOOLS

Government funding in education needs to take a new approach in which unit of funds allocation and spending is a "child" and not "schools". Currently government while making budgets calculates costs per child but while allocating and spending budgets, funds are routed through institutions such as Education Department, schools. In addition to bringing more accountability and transparency in expenditure, funding students also facilitates healthy competition between different schools to attract and retain more students. Net outcome of the competition is improved quality of education.

7 THIRD PARTY ASSESSMENTS

Third Party assessments can be described as a Health Check-Up of the education system. They hold a potential to provide clues for multiple non-performing and performing factors within the system. One of the foremost benefits of third party assessments is availability of per child learning data which provides important clues for higher level policy decisions as well as classroom level education delivery strategies to be implemented by teachers and principals. In the current system, scope of National Achievement Survey (NAS) can be expanded to cover all schools and all children enrolled therein to execute third party assessments.

8 GOVERNANCE MODEL: SEPARATE REGULATION, FINANCE AND DELIVERY

Currently government plays a role of regulator, financer and provider of education for all, at the same time. Some of the key challenges with this structure are: lack of independent and neutral monitoring of government and private schools, favorable treatment to the government schools, lack of accountability in financing education. It is important that these three roles are separated and handled by separate entities.

9 EDUCATION DATA IN PUBLIC DOMAIN

Education data is collected by central agencies (at state and/or national level) periodically. While the data quite often is made available in public domain, the time lapse between data collection and publishing the data poses serious challenges in terms of validity and utility of the data. The data available in public domain is often in formats not understood by common citizens, particularly parents who could use the data while selecting schools for their children, to demand accountability from schools etc. It is important that Management Information Systems is created in each state and entire school data is available in vernacular languages in uniform formats at all the time on websites.

10 TET BEFORE B.ED.

RTE gives exemption from clearing Teacher Eligibility Test to teachers of government schools teaching before implementation of RTE Act. However, it makes exemption of only 5 years to teachers in private schools. The law should be applicable to both, government and private schools in the same manner and its application. TET is currently conducted for B.Ed passed outs. We recommend that TET should be conducted before B.Ed as qualifying exam.

11 SCHOOL FINANCE CORPORATION

School education sector lacks infrastructural capacity and requires investment to build the facility. However, there is no investment support available to build infrastructure. Banks don't provide loan to build schools. We recommend to set up a body like 'School Finance Corporation' to give low interest easy loan to build new schools or improve infrastructure in the existing schools to meet the existing norms.

12 SAFETY AND CONVENIENCE OF SCHOOL TRANSPORTATION

Allocation of land for government schools is done through Panchayat or Municipal Corporation and therefore the government schools get opened near residential area. However, land allocation for private schools are usually outside city and therefore private schools have no other choice than arranging transport for students which puts additional burden of cost on students. Also, in case of mishappening, the school principal is held accountable with provision of imprisonment. There is lack of consistency in school bus safety policy and directions are given based on whims and fancies of bureaucrats.

13 INDEPENDENT REGULATOR:

Today, almost 40% children across the country are enrolled in private schools and the number is constantly increasing. However, private schools don't get to play almost any role in formulating education policy. Government plays the role of regulator which itself is a service provider and therefore education policies by design happens to have discriminatory approach towards private schools. We demand for setting up an independent and autonomous body, similar to the Election Commission of India or the Comptroller and Auditor General of India (CAG), to formulate education policy consisting of 'Educationists' with representatives from private schools.

The long awaited Draft NEP 2019

Fr. JOSEPH MANIPADAM
National Secretary
CBCI, Office of Education & Culture
Catholic Bishops Conference of India, New Delhi

The long awaited Draft NEP 2019, second version of its kind, came out a day after the NDA Government had sworn in for a second term when the schools and colleges were in the midst of the summer holidays. CBCI Education Office conducted a National Consultation making a critical study of the draft NEP in Delhi and a drafting committee was formed to collate responses from across the country and submit to the Government. This policy could be a game changer as the policy drafters claim or it could be a total flop if many presumed conditions don't show up and promises are not kept as it often happens. It is more an administrative policy rather than academic. Obviously so, because of the absence of the main stakeholders viz. teachers, students, school / college managements, people from the examination boards etc. who know better the ground realities of the present day education situation.

Some disturbing questions that came up as we went through this draft NEP 2019 are:

Is the Government abdicating its responsibility of educating the children of this nation, say with a concept like School Complex and unbridled corporatisation?

Is it a fairy tale NEP that bites more than what it can chew?

What is the logic of extending the Right to Education when its implementation percentage has not been more than the single digit?

Why the insistence on "online information" especially for private institutions?

Why are all the Constitutional provisions overlooked regarding Minority Rights (SMCs, Fee fixation…)?

Why is centuries of Christian contribution in education once again ignored?

Why the drafting team did not include education providers from Minority Communities and Private School trusts and teachers?

As Dr. B. R. Ambedkar stated,

> *"Education is something which ought to be brought within the reach of everyone, the policy therefore, ought to be to make higher education as cheap to the lower classes as it can possibly be made. If all these communities are to be brought to the level of equality, then the only remedy is to adopt the principle of inequality and give favoured treatment to those who are below level".*

The call of Jothiba Phule, Savithriba Phule, Shaheed Bhagat Singh, Mahatma Gandhi, Dr. B.R.Ambedkar, Maulana A.K. Azad and Thanthai Periyar is, "Education must be made Accessible to All and Affordable to All". Is the Draft National Education Policy 2019 any closer to this clarion call?

An obvious question at every meeting conducted in any part of the country studying the draft policy was if our responses will make any difference? Will they be considered at all? Mistrust is in the air. But, we hope and pray that wisdom prevails and the consideration of the future of the millions of children will take the upper hand...

POOR REMEDIES TO LEARNING CRISIS:

Draft National Education Policy amounts to rearranging deck chairs on the Titanic

GEETA KINGDON
Professor of Education Economics at University College London

The long-awaited draft National Education Policy (NEP) 2019 is finally out. Four years in the making, this comprehensive document of 484 pages contains some excellent individual recommendations on school education, including far reaching reform of teacher training and of the school exam system; the establishment of a national education commission; and the separation of roles in the governance of education instead of government being policy maker, operator, assessor and regulator of schools, which leads to deep conflicts of interest between its operator and assessor roles, and whereby it cannot hold public schools accountable since it is operating them itself.

There are downsides too. The draft NEP offers feeble prescriptions for the gargantuan problems in school education. First, there is no explicit focus on learning levels as the main thing to fix, and indeed no citing of the staggering statistics on learning levels as the very cause of the perceived need for a new NEP.

Second, it misdiagnoses the causes behind the severe learning crisis, failing to recognise the elephant in the room – namely poor school and teacher accountability, with no mention of the chronic teacher absenteeism and low teacher effort as key problems. Thus inevitably there is no big-ticket fundamental reform proposed for revamping the accountability structures for schools. Instead, the NEP provides that school management committees (SMCs) – institutions without any powers – shall hold schools and teachers accountable. This is a rather romantic notion, given that SMCs already mandated under the RTE Act were ineffectual.

While the rest of the world has been dabbling with sweeping reform ideas such as school vouchers (a form of direct benefit transfer, DBT), the draft NEP does not even consider this, even though it could usefully be the central plank of reform to enable accountability.

This is unfortunate since the BJP government has boldly used DBTs to great benefit in many spheres (farmer subsidies, Ujjwala LPG gas subsidy, etc), giving the benefit directly to the citizen-voter, who is happy to receive the spending power palpably in her hand. Doing this also led to the removal of 80 million fake beneficiaries from the records, with savings of Rs 1.1 lakh crore on account of DBT. One could say this was an important secret of the popularity of Prime Minister Narendra Modi – his courage to countenance bold imaginative reform and implement it rigorously.

The same danger for theft exists when giving public money to private schools in reimbursement for educating disadvantaged children under the RTE Act. In 2017, it was reported that Madhya Pradesh private schools – with the connivance of education officials – siphoned off Rs 600 crore in RTE reimbursement fraud.

A revised NEP can seriously consider giving public subsidy for the education of disadvantaged children as DBT (giving the parent freedom to choose a school), rather than giving that money to private schools via leaky government structures. More generally, DBT could be used as the mode for giving all public subsidy to education, with crores of parents empowered to hold schools accountable when they have purchasing power in their hands. The central government already does this when it gives all central government employees a DBT (scholarship) of Rs 2,250 per month per child for education.

One high stakes policy prescription of the draft NEP that requires particularly close scrutiny is its advice to double public education expenditure to 20% of the total government budget. This is a demanding ask, and is not justified under current circumstances of massive wastage in school education.

While the NEP recognises the problem of unviably small public schools (Chapter 7 casually shares that 28% of all public primary schools in the country have less than 30 students), it does not diagnostically probe the extent of the emptying-out of public schools which have rendered them both pedagogically and economically unviable, as a precursor to policy prescription.

My analysis of raw official DISE data shows that between 2010-11 and 2017-18, enrolment in public elementary schools sadly fell by 2.4 crore students, while rising in the recognised private unaided schools by 2.1 crore students (the rest presumably going to unrecognised private schools that are not included in DISE); the reduction in public school enrolment was not due to any reduction in the elementary age child population since that population rose by 4.3% over part of the period (2009 to 2014) as per the IMRB surveys commissioned by the MHRD.

By 2017-18, just over 41% public elementary schools in 20 major states had a total enrolment of '50 or fewer' pupils, an average enrolment of 27.9 pupils per school, and a lavish pupil teacher ratio of 12, signifying an acute teacher surplus. On these 41% of all public schools, in 2017-18, the public exchequer spent Rs 51,917 per pupil on teacher salary alone, which was equivalent to 45% of the per capita income of India and 134% of the per capita income of Bihar that year – so huge is the expenditure on more than two-fifths of the public schools.

While the rest of the world has been dabbling with sweeping reform ideas such as school vouchers (a form of direct benefit transfer, DBT), the draft NEP does not even consider this, even though it could usefully be the central plank of reform to enable accountability.

The idea that education quality is poor due to a paucity of resources and a high pupil-teacher-ratio is a monumental misdiagnosis of the situation, and before asking for more resources it is imperative to improve the appalling inefficiency.

The draft NEP has ignored the root of the inefficiency afflicting public education, namely the lack of school and teacher accountability. It is the ignored elephant in the room. Till this elephant can be seen, and tamed via DBT funding of schools, the well-intentioned and laboriously crafted provisions of the NEP will come to naught.

First published on June 24, 2019 in The Times Of India

Government doesn't require an education policy; it requires a clear-cut action plan because that is missing on the ground

ANIL SWARUP
Former Secretary Education MHRD

The draft National Education Policy recently found itself in the eye of a storm. Anil Swarup, former secretary for school education and literacy, who provided inputs to the committee which prepared the policy, speaks to Pratigyan Das about the larger problems with it:

Q What are your views on the draft National Education Policy 2019?

At the outset, we must clarify that this is not a new education policy. It is the draft of the policy that has been presented by a group constituted by the government of India. Coming to the policy part, my initial reaction to it is that the government doesn't really require a policy. It requires a clear-cut defined action plan because what's missing in education is the action on the ground. By and large, the diagnosis and prescriptions are available. Therefore, I feel we need an action plan rather than a policy statement.

Q What are the biggest challenges that this policy faces?

For any idea to fructify in this country, and education policy is an idea, it has to be politically acceptable. We have already run into a political problem in the language context. There will be more political challenges. Then, it has to be socially desirable. It has to be technologically feasible. More important, it has to be financially viable. Do we have the money? It has to be administratively doable. They have suggested certain administrative structures – some may be doable and some may not be. Last but not least, it has to be judicially tenable because they have talked about teachers' pre-service training. Let's face it. The biggest racket in this country is the BEd

"... define an action plan and ascertain what it will take to implement that action plan in terms of institutional and financial support. That is deliverable. More important – don't define parameters without them because each state is very different from the other."

colleges. We started action against them but the court stayed the proceedings. So, I keep saying most of what has been given in the policy is already known and prescribed. The question is how to make it happen. Until we know the reason why it is not working now, we will never be able to find a solution.

Q What are your thoughts on the need to tweak the draft because of the inclusion of Hindi as a mandatory language?

My personal view on language is that it should never be imposed on anybody. Any kind of imposition can be counterproductive as we have experienced in the past. Though presently we do have a three-language policy, it is not mandatory.

Q Critics feel that too much importance is given to English. How would you react to it?

Let us understand why English is given importance over other languages – we totally forget the statistics of market demand and supply. In the market, there is a perception that people who learn English are likely to get better jobs than others. That is why even in rural areas, you would find many so-called convent schools. Besides, one of the reasons, as per surveys, on why children prefer private schools over government has been the English language. I am not saying that is right. But that is what the market demands these days.

Q The policy talks about 5+3+3+4 design for school curriculum and pedagogy. Do you think it is a good move?

Well, this is very cosmetic. How does it make a difference whether it's 5+3+3+2 or anything else? We must first try and understand what is wrong with our education and then address them, rather than coming up with these formulations. However, I do agree with the emphasis that has been placed on pre-school teaching. Pre-school intervention is imperative for a child. But then, government already has a similar scheme, 'Samagra Shiksha', which includes pre-school training.

Q The draft proposal also talks of focussing on Indian values.

I have no problem with inculcating Indian values. But what has policy to do with it? Inculcating values is a known formulation. You don't have to have a policy for that.

Q What, according to you is lacking in our educational system?

Teachers are the pivot around which our education revolves. We have to look at the issues relating to teachers. While talking about private schools, they come up with a funny suggestion – Right to Education (RTE) should be extended to Class IX, X, XI and XII. I feel RTE has done us more damage than good. By merely extending the law to more classes, how will it help?

Q What should be the priority areas for the new HRD minister?

My suggestions to him would be that he should take forward the initiatives taken by his predecessor Prakash Javadekar. Some excellent initiatives were taken up during his tenure. Second, work on the action plan for each state separately, sit with them, define an action plan and ascertain what it will take to implement that action plan in terms of institutional and financial support. That is deliverable. More important – don't define parameters without them because each state is very different from the other.

First published on June 12, 2019 in The Times Of India

CALL FOR QUALITY SCHOOLS ASSESSMENTS

NISA National Independent Schools Alliance | NIQSA National Initiative of Quality Schools in Action

National Initiative of Quality Schools in Action

ASSESSMENT | ANALYSIS | IMPROVEMENT

Be a part of NIQSA Self Assessed Schools

Self Assessment of 600 Schools

An Initiative of NISA for Quality Improvement in Budget Private Schools

National Initiative of Quality Schools in Action (NIQSA)

Dear School Leader,

Our public education system has irretrievably broken down and is not producing the desired results. India ranked seventy-second out of 73 countries in the PISA (Program for International Students Assessment) ranking of 2010 by the OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). The Annual Status of Education Report (rural) 2016 released on 18 January 2017 has shown pathetic learning quality with only 25 per cent of children in grade III being able to read a grade II level text. Around 10 lakh out of 60 lakh teaching positions are vacant. According to a World Bank study, teacher absenteeism on any given day is as high as 25 per cent. Of the teachers who do come to work, a large proportion of them lack the motivation and skills to perform well. The victims are our children.

India has been growing and with increased purchasing power, the aspirations of people have risen. Parents want the best for their children and even poor parents, whose only hope to change their lives is through providing their children with good education, are choosing non-government schools.

National Initiative of Quality Schools in Action (NIQSA) is an initiative of National Independent School Alliance (NISA) quality wing dedicated towards holistic quality improvement of budget private schools in India.

As part of the initiative, NISA envisions to work towards improving the quality parameters on the following five key components:

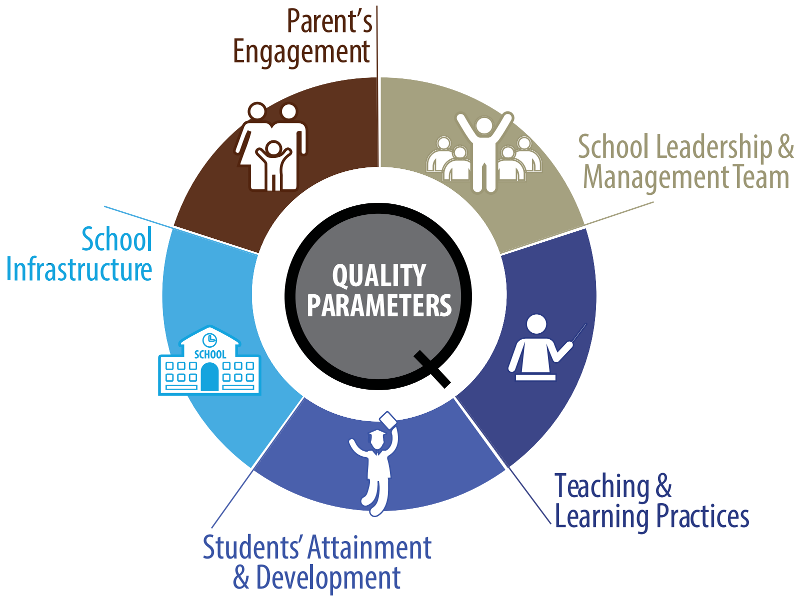

The copy of self-declared expression of interest form can be downloaded from www.nisaindia.org/niqsa

If you wish to join the NIQSA, please contact us at **niqsa@nisaindia**.org or call us at
+91 **9899485667**, +91-11-**26537456/ 26521882/ 41607006/ 41629006**

Moving forward, NIQSA initiative will be involved in the following:

- **Sign-up on Quality Charter**
- **Sign-up form for assessment**
- **Support third-party independent assessments**
- **Sharing of assessment reports confidentially with the assessed schools**
- **Developing a customized quality improvement plan for the assessed schools**

NISA Singapore & London Delegation

NISA
National Independent Schools Alliance

CED FOUNDATION TRUST

Best wishes to all NISA Delegates
4th International Conference on Futuristic Trends In Education

Singapore I 8th October, 2019

Dr. Kulbhushan Sharma
President, NISA

Mr. K. Tulasi Prasad
Vice President (Quality), NISA

Mr. Premchund Desaai
Treasurer, NISA

Mr. Amrit Sagar Mahajan
Educational Administrator
Lord Krishna Public School
Ambala, Haryana

Mr. Sushil Dhankar
Chairman
Hari Vidya Bhawan, New Delhi

Mr. Manan Budhraja
Managing Director
Mother Divine Public School, Delhi

Mr. Davinder Singh
Chairman
Angel Public School, Chandigarh

Mrs. Poornima Sharma
Principal
SBBM Model School, Haryana

Mr. Harjinder Singh Sanghera
Managing Director
Sh. GGS Convent School, Haryana

Mr. Gurunam Singh Sandhu
SMC Member
Sh. GGS Convent School, Haryana

Mr. Rajesh Bajaj
Director
DPS - Etawah, Kurukshetra

Mr. Binod Kumar Gupta
Manager
Holy Heart Public School, Haryana

Mr. Vikas Gaba
Administrative coordinator
Navyug Senior Secondary School,
Kurukshetra

Mr. Ravi Kumar
Manager
O.K. Model School, Delhi

SSLC students in several schools yet to lay hands on textbooks

Private schools hold inter-state conference, highlight issues

'राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में हैं खामियां'

नई शिक्षा नीति पर शिक्षाविदों की बैठक में दिए सुझाव

Complicated rules of NEP-2019 will dominate private schools: JKPSA

एसएमसी गठित करने का सुझाव स्वायत्ता पर हमला : निसा

...नक स्कूलों के फीस एक्ट में संशोधन हो

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर मांगे सुझाव व आपत्तियां

...कारी नीतियों से निजी स्कूल चलाना मुश्किल : अतुल श्रीवास्तव

...raft education policy to undergo two ...ounds of review before approval

...द्र सरकार की प्रस्तावित शिक्षा नीति पर निसा ने उठाए सवाल

...रियाणा की आवाज

...द्र सरकार की प्रस्तावित शिक्षा नीति पर उठाए सवाल

HC issues notice to state over schools violating RTE norms

निजी स्कूलों में फीस तय करने को बनी कमेटी

...का मसौदा नहीं भाया

...जी विद्यालयों की इकाई ने शिक्षा नीति की सिफारिशों को बताया स्वायत्तता विरोधी

...sends notice to three for negative reviews

PARENTS SAY EXCESS FEE HIKE MADE THEM LAUNCH ONLINE CAMPAIGN

National Education Policy (draft) 2019

...vt schools want ...ovt to pay RTE quota ...oney to parents

...सा ने विभिन्न राज्यों के नेताओं से की बैठक

पब्लिक स्कूलों के फीस एक्ट में संशोधन हो

NISA National and State Activities

JUNE

NISA STATE ASSOCIATION A PSA- AGRA ORGANIZED A SYMPOSIUM ON NATIONAL EDUCATIONAL POLICY (DRAFT) 2019

28 JUNE 2019
Agra, Uttar Pradesh

SYMPOSIUM ON NATIONAL EDUCATIONAL POLICY (DRAFT) 2019

30 JUNE 2019
Banaras, Uttar pradesh

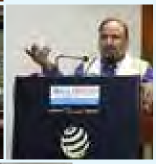

JULY

MEETING WITH MPS AND MINISTERS ON NEP-19

2 JULY 2019
Parliament, Delhi

EDUCATION CONCLAVE ON NEP -19

8 JULY 2019 | Punjab

STATE LEVEL CONSULTATION ON NATIONAL EDUCATION POLICY DRAFT-2019.

10 JULY 2019
Education Department, Haryana

NISA-DA TRAINING PROGRAM

27 JULY 2019 | Goa

CONFERENCE ON NEW EDUCATION POLICY DRAFT-2019

28 JULY 2019
Gorakhpur , Uttar Pradesh

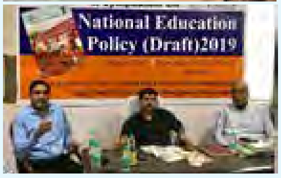

AUGUST

A SYMPOSIUM ON NATIONAL EDUCATIONAL POLICY (DRAFT) 2019

2 August 2019
L P Sawani Public School, Surat

A SYMPOSIUM ON NATIONAL EDUCATION POLICY (DRAFT) 2019

3 August 2019
Rose Valley Public School, Delhi

CONFERENCE ON NEW EDUCATION POLICY 2019

25 August 2019
Sirsa , Haryana

NISA-DA TRAINING PROGRAM

26 August 2019
Andhra Pradesh

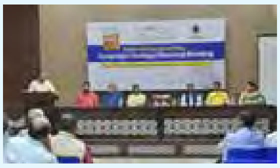

SEPTEMBER

NATIONAL EDUCATION POLICY CAMPAIGN STRATEGY PLANNING MEETING

7 September 2019
CCI, Delhi

NATIONAL TEACHER AWARDS 2019

8 September 2019
IIC, Lodhi Road, Delhi

CELEBRATE WORLD LITERACY DAY

9 September 2019
Pacific Mall, Subhash Nagar, Delhi

INTERNATIONAL MEDIA CONFERENCE "GENDER VIOLENCE"

15 September 2019
Lucknow, Uttar Pradesh

eNREAD PROGRAM LAUNCH & AWARD FUNCTION IN DWARKA SCHOOL,DELHI

16 September 2019
Dwarka, New Delhi

RAJYA SABHA MEDIA HAS ORGANIZED A PANEL DISCUSSION ON NATIONAL EDUCATION POLICY DRAFT-2019

20 September 2019
Shri Ram College of Commerce, New Delhi

EDUCATION CONVENTION -2019 ON NEP IN FATEHABAD DISTT, HARYANA

21 September 2019
Tohana, Fatehabad, Haryana

OCTOBER

EDUCATION CONVENTION ATTEND AT SINGAPORE

6 - 11 October 2019
Ramada Hotel, Singapore

POLICY DIALOGUE ON NEP-19 WITH BHARTIYA SHIKSHAN MANDAL, DELHI

11 October 2019
Greater Kailash, New Delhi

ATTEND SHIKSHARATAN AWARD PROGRAM AT BIHAR.

12 - 14 October 2019
Patna, Bihar

National Independent Schools Alliance

NISA Association Members

KRISHNA REDDY
Andhra Pradesh Unaided Schools Management Association, ANDHRA PRADESH

PANKAJ DAS
All Assam Private Schools Association, ASSAM

NANDITA MISHRA
Byktigata Vidyalaya Samannayrakshee, ASSAM

PRADEEP SHUKLA
Chandigarh Private Schools Association - Village, CHANDIGARH

H S MAMIK
Independent Schools Association, CHANDIGARH

ANIL GOEL
South Delhi Public Schools Association, NEW DELHI

PREMCHAND DESWAL
Private Land Public Schools Association, NEW DELHI

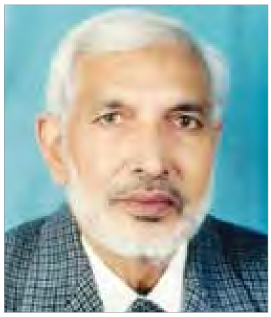

ABBAS ALI
Unaided Recognised School Welfare Association, DELHI

LAKSHYA CHHABARIA
Affordable private Schools Association, DELHI

DEEPAK KHAITAN
All Goa Government Recognized Unaided Schools Association, GOA

KULBHUSHAN SHARMA
Federation of Private Schools Association, HARYANA

RAVI AZTA
Himachal Pradesh Private Schools Management Association, HIMACHAL PRADESH

AJAY GUPTA
Joint Committee of Private Schools, JAMMU

SHASHI KUMAR
KAMS-Associated Management of English Medium Schools, KARNATAKA

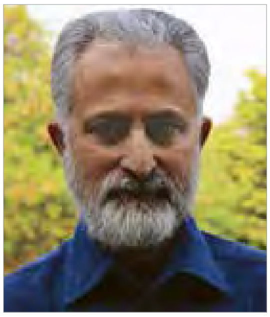

G N VAR
Joint Committee of Private Schools, KASHMIR

RAMADAS KADIRUR
All Kerala Self Financing Schools Federation, KERALA

SUNIL OLIYA
Gwalior Private Schools Association Samiti, MADHYA PRADESH

ANIL DHUPUR
Unaided CBSE Schools-Indore, MADHYA PRADESH

RAJENDRA SINGH
Independent English Schools Association, MAHARASTRA

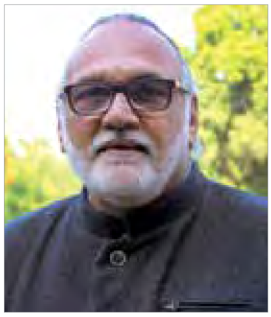

BHARAT MALIK
Private Unaided Schools Management Association, MAHARASTRA

BITHUNGO KIKON
President, All Nagaland Private School Association

KULVIR CHAND
Punjab Independent Schools Alliance, Nakodar, PUNJAB

ANIRUDH GUPTA
Association of Heads of Recognized and Affiliated Schools- AHRAS, PUNJAB

ANIL CHOPRA
C.B.S.E Affiliated Schools Association, Jallandhar, DOBHA

HEMLATA SHARMA
School Kranti Sangh, Jaipur, RAJASTHAN

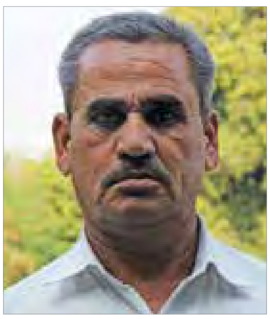

KODARAM BADHUR
Private Schools Association, Bikaner, RAJASTHAN

SATHIAMOORTHY
Association of Private Schools Management CBSE, TAMIL NADU

JOHN XAVIER THANGARAJ
Christian Minority Institutions Association, TAMILNADU

MARTIN KENNEDY

Tamilnadu Nursery Primary & Matric Higher Secondary School Managements Association

MADHUSUDHAN

Telengana Recognized Schools Management Association, TELENGANA

ATUL SRIVASTAV

Association of Private Schools - Lucknow, UTTAR PRADESH

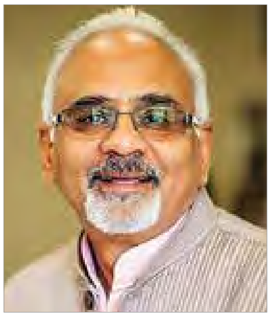

SUSHIL GUPTA

President, Association of progressive schools of Agra, UTTAR PRADESH

PRAVIN AGARWAL

Public School Development Society - Aligarh, UTTAR PRADESH

ASHOK MALIK

Association of Recognized private schools- Saharanpur, UTTAR PRADESH

THOMAS C J

Independent schools' Alliance - Maharajganj, UTTAR PRADESH

SUBA SINGH

Private Schools Management Association, UTTARAKHAND

B B BHATT

Kashipur Independence Schools Association - UTTARAKHAND

N S DHALIWAL

Udham Singh Nagar Independence schools Association - UTTARAKHAND

NISA MEMBERSHIP FORM

BENEFITS TO THE ASSOCIATIONS

- Joining an alliance that provides a national voice, advocating for the interest of budget private schools
- Opportunity to spread awareness about the need for associations
- Reputation-building for the association at a national and international level
- Exposure and opportunities to learn from the best practices of other member associations from different states
- Latest information about education developments, new legislations, policies, regulations, amendments and related issues
- Direct contact with colleagues across the country and throughout the nation - an open gateway to people and resources that help make schools even better
- Through a nationwide advocacy campaign, access to legal aid to protect interests of associations
- Representation on a national citizenry platform that advocates for fewer regulations and greater transparency from the government, media, academics and international organizations
- Updates on important cases from alliance officers and staff who attend meetings with governments

NISA MEMBERSHIP FORM FOR ASSOCIATION

Name of Association:

Name of President/Head of the Association:

Phone Number: E-mail ID:

Postal Address of Association/ Head of the Association (Whichever is applicable):

Website:

Yes, I wish to be a member of National Independent Schools Alliance (NISA)

Fill in the above form and send it to NISA Secretariat, A-69, Hauz Khas, New Delhi– 110016

For more information, call: +91 9899485667; 011 2653 7456 E-mail: nisa@ccs.in Website: www.nisaindia.org

NISA NAMASKAR SUBSCRIPTION FORM

SUBSCRIPTION FORM FOR NISA NAMASKAR

Please complete the form below and send it to: NISA Secretariat, A-69, Hauz Khas, New Delhi- 110016

Name:

Phone Number: Email ID:

Address:

Pin Code: Country:

Occupation:

Mode of Payment: Cash: ☐ Cheque: ☐ Net Banking: ☐

For net banking, transfer the amount at : A/C No.- 412102010057920
Union Bank of India, Nehru Place, New Delhi-110019
IFSC Code: UBIN0541214

Yearly Subscription Amount: INR 500

For payment via cheque, please enclose cheque/DD in favour of NISA Education, payable at Delhi for INR 500

For further queries, subscription or advertisement related, contact: nisa@ccs.in; 91 9899485667; 011 2653 7456

NISA
National Independent Schools Alliance

a bilingual magazine by the NISA Family

नमस्कार

Affordable Schooling, Commendable Learning

VOLUME 5 ISSUE 1 | JUNE-SEP 2019

एक डूबता जहाज?

राष्ट्रीय शैक्षिक नीति (मसौदा) 2019 -अवलोकन और सुझाव

विषय सामग्री

संपादकीय

02 उद्देश्य छात्रों का हित तो फंड स्कूलों को क्यों?
- अविनाश चंद्र

प्रेसिडेंट का सन्देश

04 प्राइवेट स्कूलों में एस एम सी विनाशकारी होगी
- कुलभूषण शर्मा

शिक्षा

05 प्रतिपूर्ति - प्रशांत नारंग

06 स्कूल खोलने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की स्थापना करें - एस मधुसूदन

07 आइए, तीन प्रकार के स्कूल चलने दें - भरत मलिक

08 क्षेत्रीयता वाले पहलू की अनदेखी नहीं की जा सकती
- मार्टिन कैनेडी

09 एड्प्रेन्योर्स (शिक्षा उद्यमियों) को प्रोत्साहित कीजिए
- दीपक खैतान

10 स्कूलों को स्वायत्तता दी जाती है तो सबका फायदा होगा
- राजेंद्र सिंह

11 शिक्षा का माध्यम चुनना अभिभावकों का काम
- शशि कुमार

12 निजी संस्थानों के प्रबंधन मे हस्तक्षेप गलत!
- डॉ. सशील गुप्ता

13 NEP: वास्तविकता को स्वीकार करें
स्कूलों को 'नॉट फॉर प्रॉफिट' के बंधन से मुक्ति कब?
- डॉ.दिलीप मोदी

निसा

14 नेशनल इंडिपैंटि स्कूल्स अलायंस (नीसा) अनुशंसाएँ

शिक्षा

17 बहु - प्रतिक्षित एनईपी 2019 - फादर जोसेफ मणिपद्म

18 सीखने में कमी की समस्या का खराब समाधान: राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा टाइटैनिक के डेक पर कुर्सियों को पुर्नव्यवस्थित करने जैसा
- प्रो. गीता गांधी किंगडन

20 सरकार को किसी शिक्षा नीति की नहीं बल्कि स्पष्ट कार्य योजना की आवश्यकता है - अनिल स्वरुप

22 स्कूलों की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए बुलाएं
नेशनल इनिशिएटिव ऑफ क्वालिटी स्कूल्स इन एक्शन (एनआईक्यूएसए)

24 निसा का सिंगापुर और लंदन प्रतिनिधि मंडल

निसा संवाद

25 सुर्खियां

26 निसा के कार्यक्रम

National Independent Schools Alliance

National Independent Schools Alliance (NISA) is the unified voice of Budget Private Schools (BPS) in India, that aims at improving access to affordable and quality education for the economically weaker students.

22 States, **45** Associations
55,000+ Schools,
22,00,00,000+ Students
Become a member today! Join NISA
/nisaindia.org /nisaedu
National Independent Schools Alliance

वार्षिक सब्सक्रिप्शन

500रू. चेक/ड्रॉफ्ट, NISA Education के नाम दें

संपादकीय कार्यालय

ए–69, हौज खास
नई दिल्ली – 110016
दूरभाषः 011 26537456
वेबसाइटः www.nisaindia.org

सब्सक्रिप्शन व अन्य जानकारियों के लिए संपर्क करें: **nisa@nisaindia.org**

उद्देश्य छात्रों का हित तो फंड स्कूलों को क्यों?

अविनाश चंद्र
संपादक

चुनावी मुद्दे के रूप में कम महत्वपूर्ण होने के पीछे एक अन्य कारण इसके कार्य क्षेत्र का व्यापक तौर पर विस्तारित होना है। शिक्षा के किसी भी घटक में सुधार के लिए दीर्घअवधि के नियमित प्रयास की जरूरत होती है।

इस बात से कोई भी इंकार नहीं करेगा कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा ही 21वीं सदी के भारत की दशा और दिशा तय करेगी। केंद्र और राज्य सरकारें भी अब इस ओर काफी गंभीर दिखाई प्रतीत होती हैं। मोदी सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति लाने का प्रयास इसकी एक बानगी है। हालांकि देश में सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था विशेषकर प्राथमिक शिक्षा की हालत में सुधार होने की बजाए खराबी ही आई है।

वर्ष 2010 में ओईसीडी (ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट) की रैंकिंग में पीसा (प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेन्ट्स असेसमेंट) के 73 सदस्य देशों में से भारत को 72वां स्थान दिया गया था। इसकी प्रतिक्रिया के रूप में भारत ने बाद की रैंकिंग प्रक्रिया में हिस्सा ही नहीं लिया, लेकिन बुरी खबर सिर्फ इतनी नहीं है। प्रत्येक वर्ष जारी होने वाली एनुअल स्टेटस ऑफ एडुकेशन रिपोर्ट में एक उभयनिष्ठ बात शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार होती जा रही गिरावट होती है। पिछली रिपोर्ट की बात करें तो तीसरी कक्षा के सिर्फ 25 फीसद छात्रों के ही दूसरी कक्षा की किताबें पढ़ सकने में सक्षमता की बात उजागर की गई थी। ऐसे ही चिंताजनक नतीजे पिछले साल दिल्ली सरकार द्वारा कराए गए चुनौती सर्वे में सामने आए थे।

अन्य अध्ययनों के मुताबिक भी छठी कक्षा के 74% छात्र अपनी हिन्दी पाठ्य पुस्तक से एक पैराग्राफ नहीं पढ़ सके, 46% छात्र दूसरी कक्षा के स्तर की साधारण कहानी नहीं पढ़ सके और 8% छात्र अक्षरों को नहीं पहचान पाए।

लेकिन बात जब समस्या के समाधान की होती है तो कुछ शिक्षाविद् सदैव शिक्षा के मद में होने वाले खर्च को नाकाफी बताते हुए इसे देश की जीडीपी का 6% करने की मांग करते हैं। उन्हें लगता है कि अधिक धन खर्च कर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि देश में शिक्षा के मद में होने वाले खर्चों में आजादी के बाद से ही लगातार वृद्धि होती रही है। आजादी के बाद पहली पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए 153 करोड़ रूपए के बजट का प्रावधान किया गया था जो कि पांच वर्ष की अवधि में खर्च होना था। बजट की यह राशि बढ़ते बढ़ते वर्ष 2016–17 तक 68,968 करोड़ रूपए प्रतिवर्ष हो गई। वर्ष 2019 के बजट में इसे बढ़ाकर 94,853.64 करोड़ कर दिया गया। लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार न होने थे और न हुए।

दिल्ली सरकार ने भी गत वर्ष 14,000 करोड़ रूपए के बजट का प्रावधान अकेले शिक्षा के मद में किया। राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों ने भी शिक्षा बजट में खूब वृद्धि की है। लेकिन यहां ध्यान देने की जरूरत है कि शिक्षा की गुणवत्ता के नाम पर हजारों करोड़ रूपए के कोष का अधिकांश हिस्सा स्कूल भवनों के निर्माण, शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन, नए शिक्षकों की भर्ती, शिक्षकों के प्रशिक्षण, मिड डे मिल इत्यादि पर ही व्यय हो जाता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज, लंदन की प्रो. गीता गांधी किंगडन द्वारा जुटाए गए आंकड़ें भी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता के सुधार के लिए अधिक खर्चे की पोल खोलते हैं। प्रो. गांधी के मुताबिक वर्ष 2000 में चीन ने शिक्षकों के वेतन पर वहां के प्रतिव्यक्ति आय का 0.9 गुना ही खर्च किया। वर्ष 2009 में इंडोनेशिया ने 0.5 गुना, जापान ने 1.5 गुना, वर्ष 2012 में बांगलादेश ने 1.0 गुना और पाकिस्तान ने 1.9 गुना खर्च किया। जबकि वर्ष 2004–05 में भारत के 9 राज्यों ने इसी मद में

प्रतिव्यक्ति आय का 3.0 गुना ज्यादा खर्च किया। वर्ष 2006 में उत्तर प्रदेश देश के प्रति व्यक्ति आय का 6.4 गुना जबकि प्रदेश के प्रतिव्यक्ति आय का 15.4 गुना अधिक खर्च किया। 2012 में बिहार ने देश के प्रतिव्यक्ति आय का 5.9 गुना और राज्य के प्रतिव्यक्ति आय का 17.5 गुना जबकि छत्तीसगढ़ ने क्रमशः 4.6 गुना और 7.2 गुना ज्यादा खर्च किया। लेकिन इन राज्यों में शिक्षा की गुणवत्ता किसी से छिपी नहीं है।

दरअसल, सरकारों की तरफ से खर्चों में लगातार वृद्धि की जा रही है। मौजूदा समय में सरकार शिक्षा पर जीडीपी का लगभग 3% खर्च करती है, लेकिन यह धनराशि लक्षित व्यक्ति तक पहुंच नहीं पा रही। धन का प्रवाह तमाम छिद्रों की वजह से रास्ते में ही लीक हो जा रहा है। प्रो. किंगडन द्वारा डिस्ट्रिक्ट इनफॉर्मेशन सिस्टम ऑन एडुकेशन (डीआईएसई) के शुरुआती आंकड़ों के विश्लेशण से पता चलता है कि वर्ष 2010 और 2014 के बीच 13,498 नए सरकारी स्कूल खुलने के बाद भी सरकारी स्कूलों में छात्रों के नामांकन में 1.13 करोड़ की कमी आई है जबकि निजी स्कूलों में 1.85 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। 10.2 लाख सरकारी स्कूलों में से एक लाख स्कूलों में सिर्फ 20 बच्चों का नामांकन हुआ है। इसके अलावा 3.6 लाख सरकारी स्कूलों में छात्रों की अधिकतम संख्या सिर्फ 50 तक है। निश्चित ही ऐसे स्कूलों में निवेश करने का कोई विशेष फायदा नहीं मिल पा रहा है। इसलिए सिर्फ बजट में आवंटन बढ़ा देने से कोई खास फर्क नजर नहीं आने वाला है।

सवाल यह है कि, क्या कोई तरीका है जिससे शिक्षा के मद में की जा रही वर्तमान धनराशि का अधिकतम उपयोग कर वांछित परिणाम हासिल किया जा सकें!

दूसरा सवाल यह है कि इसे हासिल कैसे किया जाए, खास तौर पर तब जब केंद्र इस संबंध में बहुत कुछ नहीं कर सकता क्योंकि शिक्षा राज्य का विषय है। शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 में कई खामियां हो सकती हैं, लेकिन अगर मानव संशाधन एवं विकास मंत्री इसके लिए कोई ढांचा तैयार कर पाएं तो इसमें काफी संभावनाएं भी हैं। आरटीई कानून की धारा 12(1)(सी) में निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित तबके के छात्रों के लिए 25% सीटें आरक्षित कर मुफ्त पढ़ाई का प्रावधान किया गया है। इससे निजी स्कूलों में गरीब छात्रों के लिए करीब 20 लाख सीटों की व्यवस्था हो गई है। उक्त सीटों के ऐवज में सरकार स्कूलों को (अपने स्कूलों में प्रति छात्र होने वाले खर्च अथवा स्कूल के वास्तविक खर्च दोनों में से जो भी कम हो) भुगतान करती है।

लेकिन स्कूलों पर इस प्रावधान को लागू करने में रूचि नहीं दिखाने के आरोप लगे हैं और उनकी शिकायत यह है कि इसके लिए उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। प्रजा फाउंडेशन के हाल ही में कराए गए अध्ययन के मुताबिक दिल्ली नगर निगम से स्कूलों में औसतन प्रति छात्र 50,000 रु वार्षिक खर्च होता है। निजी स्कूलों में निश्चित ही इससे ज्यादा खर्च आता होगा। लेकिन दिल्ली सरकार निजी स्कूलों को एक छात्र के लिए 19,000 रु प्रति वर्ष के हिसाब से भुगतान करती है।

जबकि सरकार को करना यह चाहिए कि आरटीई एक्ट के तहत इस प्रावधान को सही तरीके से लागू कराने के लिए आवंटित राशि का भुगतान सीधे छात्रों को कराए। इसके लिए अभिभावक के खाते में डाइरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर या वाउचर या स्मार्ट कार्ड के जरिए भुगतान की व्यवस्था की जा सकती है। अच्छी बात यह है कि सरकार इस मौके का फायदा उठाने के लिए जरुरी बुनियादी ढांचा तैयार कर चुकी है। करीब 92% बच्चों के पास आधार कार्ड और उनके अभिभावकों के पास बैंक खाते हैं। इससे हर बच्चे की व्यक्तिगत रूप से निगरानी संभव हो सकेगी। एक बार गरीबों तक सीधा लाभ पहुंचने लगे तो उनके पास यह विकल्प होगा कि वे अपने बच्चों को पसंद के स्कूल भेजे। दूसरी तरफ आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावकों की क्रय शक्ति बढ़ने से, स्कूलों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का दबाव भी बढ़ेगा। साथ ही इससे फर्जी स्कूलों, अध्यापकों व छात्रों के नाम पर खर्चे के रूप में होने वाली चोरी रोकी जा सकेगी।

पिछले वर्ष मानव संसाधन मंत्रालय ने सरकारी स्कूलों 80000 फर्जी अध्यापकों की पहचान की। गत वर्ष हरियाणा में छात्रों को आधार से जोड़ने के बाद सरकारी स्कूलों में 400000 छात्र फर्जी पाए गए। ध्यान रहे कि ऐसा दो कारणों से किया जाता है। एक, कम छात्र होने के कारण स्कूल को दूसरे स्कूल के साथ संयोजित न कर दिया जाए, दूसरा छात्रों के नाम पर मिड डे मिल व अन्य मदों की राशि की बंदरबांट भी हो सके। विदित है कि सरकार द्वारा एलपीजी सिलेंडर के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर से जोड़कर 50000 करोड़ रूपए से ज्यादा बचाने का दावा स्वयं करती है।

डीआईएसई के 21 राज्यों से एकत्रित शुरुआती आंकड़ों पर हुए अध्ययन के मुताबिक शिक्षा के अधिकार अधिनियम के लागू होने के चार साल बाद, साल 2010 से 2014 के बीच पब्लिक स्कूलों की संख्या में भले ही 13,498 का इजाफा हुआ हो लेकिन, इन स्कूलों में दाखिले लेनेवाले बच्चों की संख्या में 1.13 करोड़ तक की गिरावट आई हैं। वहीं इसके विपरीत निजी स्कूलों में एडमिशन का ये आंकड़ा बढ़ गया है और 1.85 करोड़ बच्चों ने इस दौरान इन स्कूलों में दाखिला लिया हैं।

इसी दौरान ऐसे सरकारी स्कूलों की संख्या जिनमें प्रति कक्षा 20 से भी कम बच्चे पढ़ते हैं तेज़ी से बढ़ी हैं। साल 2014–15 में, लगभग एक लाख स्कूल ऐसे रहे जहां बच्चों के नामांकन की संख्या प्रति स्कूल औसतन 12.7 छात्र रही है। यहां प्रति शिक्षक छात्रों की औसत संख्या 6.7 रही। वहीं सबसे चौंका देनेवाला रहा शिक्षकों की तनख्वाह का बिल जोकि 9,440 करोड़ रुपए रहा। पचास से कम छात्रोंवाले पब्लिक स्कूलों की संख्या में भी नाटकीय ढंग से वृद्धि हुई है और इनकी संख्या बढ़ कर 3.7 लाख हो गयी हैं। यह संख्या साल 2014–15 में देश के कुल 10.2 लाख सरकारी प्राथमिक स्कूलों का 36 प्रतिशत हैं। इन 3.7 लाख छोटे पब्लिक स्कूलों में औसतन केवल 29 छात्र दाखिल हैं और यहां प्रति शिक्षक छात्रों की औसत संख्या केवल 12.7 छात्र है। जबकि यहां के शिक्षकों के वेतन पर साल 2014–15 में 41,630 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि खर्च की गई। स्पष्ट है कि करदाताओं का पैसा एक तरीके से इन शैक्षणिक दृष्टि से गैर लाभकारी पब्लिक स्कूलों पर खर्च करना फिज़ूलखर्जी ही कहलाएगा है।

अब आगे, होना ये चाहिए कि प्रति छात्र मिलनेवाली वित्तीय सहायता सीधे स्कूलों को मिलने के बजाय, परोक्ष रूप से वाउचर के रूप में माता–पिता को मिल जाए। (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण या डीबीटी) इससे अभिभावकों का सशक्तिकरण होगा। जहां शिक्षक शिथिल पड़े, अभिभावक बच्चों को वहां से निकाल सकते हैं, उनके साथ अपने वाउचर दूसरे स्कूल ले जा सकते हैं, जिससे कि उस स्कूल को मिलनेवाली सरकारी वित्तीय सहायता कम हो जाएगी। अभिभावकों को आर्थिक दंड देने के लिए मिली ये क्षमता स्कूलों और शिक्षकों को ज़िम्मेदार बनाएगी, यहां तक की गरीब और अशिक्षित अभिभावकों को भी सशक्त बनाएगी। जवाबदेही के लिए बनी ये संरचनाएं प्रति छात्र डीबीटी अनुदान में निहित और अंतर्निहित हैं। संविधान में दिए गए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को बुनियादी अधिकार बनाने के अधिकार (86वां संशोधन), आरटीआई एक्ट के रूप में कानून की ताकत, धन मुहैया कराने की व्यवस्था और बुनियादी ढांचे के अपनी जगह दुरुस्त होने पर, मुझे मौजूदा मानव संशाधन एवं विकास मंत्री के सामने नई व जवाबदेही से युक्त शिक्षा व्यवस्था का वास्तुकार बन सकने की बड़ी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, लगभग वैसे ही, जैसे 1991 में डॉ मनमोहन सिंह, आर्थिक सुधारों के वास्तुकार बन गए थे। सार्वजनिक अनुदान से चलनेवाले स्कूलों की अव्यवस्थित जवाबदेही के चलते अब ज़रुरत हैं कि सरकारी स्तर पर अधिक दूरगामी व साहसिक फैसले लिए जाए।

कुलभूषण शर्मा
प्रेसिडेंट, निसा

प्राइवेट स्कूलों में एसएमसी विनाशकारी होगी

एसएमसी! बिल्कुल नहीं..

प्राइवेट स्कूलों में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) की स्थापना करने के प्रस्ताव का परिणाम उल्टा होगा। यह स्वतंत्रता पर कुठाराघात के समान है। यह स्वायतता के सिद्धांत के खिलाफ है। प्राइवेट स्कूलों का प्रबंधन स्कूल की स्थापना और उसकी संरचना में निवेश एक दृष्टि और उद्देश्य के तहत करते हैं। अपने विचारों को आगे बढ़ाना उनका परम अधिकार है। नीति निर्धारण में अभिभावकों को शामिल करना उस विचार को विध्वंस करने का काम करेगा।

स्कूल फाइनेंस कॉर्पोरेशन

लोगों की धारणा में जाहिरी तौर पर बड़ा परिवर्तन आया है। दिहाड़ी मजदूरों से लेकर घरेलू नौकरों और सहायकों की भी यह इच्छा होती है कि उनके बच्चे पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूलों में जाए। एक स्कूल फाइनेंस कॉर्पोरेशन स्थापित करने की आवश्यकता है जो आधारभूत संरचना के निर्माण में सहायता प्रदान करे। वर्तमान में, बैंक स्कूलों के निर्माण के लिए ऋण प्रदान नहीं करते हैं। तमाम ऐसे स्कूल हैं जो दशकों पहले स्थापित किए गए थे और उन्हें अगले स्तर पर ले जाने की आवश्यकता है। स्कूलों के उन्नयन और नए स्कूलों की स्थापना के लिए कम ब्याज पर ऋण काफी मददगार साबित होगा।

किस परीक्षा बोर्ड से जुड़ना है इसका फैसला स्कूलों को करने दें

निजी स्कूल नियमों से बंधे होते हैं और सभी फरमानों का पालन करते हैं। प्रत्येक तीन वर्ष पर पुर्न मान्यता प्रदान करने वाली प्रथागत प्रक्रिया के पश्चात, स्कूल प्रबंधन को यह तय करने के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए कि वह किस बोर्ड को चुनना चाहता है।

इसे लागू करना उनकी कल्पना पर छोड़ दिया जाना चाहिए। मसौदा गांवों में स्कूल परिसरों के साथ विश्व स्तर की सुविधाएं स्थापित करने के बारे में बात करता है, लेकिन यह नहीं बताता है कि यह उन एक लाख स्कूलों के मुद्दे से कैसे निपटेगा जिनमें सिर्फ एक शिक्षक हैं।

यह मसौदा चाहता है कि लोग ऐसा विश्वास करें कि एक बार सिफारिशें लागू हो जाने के बाद दाखिले सार्वजनिक स्कूलों में होंगे। डीएनईपी एक नीति दस्तावेज है जो समस्याओं की पहचान तो करता है लेकिन इसके समाधान के लिए कोई कार्य योजना योजना प्रदान नहीं करता है। विडंबना यह है कि बदलावों का प्रस्ताव रखने वाले अकर्मण्य लोग स्वयं अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजते हैं। एक तरफ तो यह भारी भरकम दस्तावेज सुझावों की एक व्यापक ऋंखला प्रस्तुत करता है लेकिन निजी स्कूलों में सुधार के नाम पर इसमें बहुत थोड़ी चीजें हैं। एक केंद्र सरकार के कर्मचारी को प्रति बच्चे प्रति माह 2,250 का शिक्षा भत्ता मिलता है, और इसके बावजूद वह कभी भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने के बारे में नहीं सोचता।

केंद्र सरकार के कर्मचारी को प्रति बच्चे प्रति माह 2,250 का शिक्षा भत्ता मिलता है, और इसके बावजूद वह कभी भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने के बारे में नहीं सोचता।

इस बात से सभी सहमत होंगे कि हमारी युवा पीढ़ी को सुसज्जित करने की राह (वर्तमान भारत की 52% आबादी 1991 के बाद पैदा हुई है) जो कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्राइवेट स्कूलों की तरफ उम्मीद से देखते हैं, उनको प्रोत्साहन की जरूरत है। भारत के 350,000 निजी गैर–मान्यता प्राप्त स्कूलों में 75 मिलियन स्कूली छात्र पढ़ते हैं। यह कुल स्कूलों का 24% हिस्सा हैं जिसे ध्यान में रखने की जरूरत है।

यह एक सिद्ध निष्कर्ष है, अगर भारत को आगे बढ़ना है, तो निजी स्कूलों को संरक्षित करने और मुक्त होकर काम करने देने की जरूरत है।

प्रतिपूर्ति

प्रशांत नारंग
सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी

बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार की धारा 12 (1) (सी), गैर–सहायता प्राप्त सभी निजी विद्यालयों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित पृष्ठभूमि से संबंधित बच्चों को प्रवेश देने को अनिवार्य बनाती है। ऐसे स्कूलों को इस उद्देश्य के लिए अपनी सीटों के 25 प्रतिशत भाग को अनिवार्य रूप से आरक्षित रखना होगा। राज्य सरकार ऐसे बच्चे की सरकारी स्कूलों में लगने वाली फीस के समतुल्य राशि या शिक्षा की लागत, में से जो भी कम हो, उसकी प्रतिपूर्ति स्कूलों को करेगी।

यह एक प्रकार का सम्पत्ति हरण है और इस तरह के कानून के आशय को संकीर्ण कर सीमित किया जाना चाहिए। हालाँकि, अधिकांश न्यायालयों ने इसके आशय को विस्तारित किया है। अब, कई राज्यों में, नर्सरी कक्षा को भी शामिल कर लिया गया है। कुछ राज्य चाहते हैं कि स्कूलों द्वारा यूनिफॉर्म और किताबें भी उपलब्ध कराई जाएं।

स्कूलों को प्रतिपूर्ति का भुगतान समय पर नहीं किया जाए तो यह धारा सबसे अधिक समस्या उत्पन्न करने वाली हो सकती है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में स्कूलों को 2–3 साल बाद प्रतिपूर्ति प्राप्त होती है। अनुमोदन के लिए लंबी प्रशासनिक प्रक्रियाओं की कोई समय सीमा नहीं होती है। बाबू लोग किसी भी स्तर पर दावे पर आपत्ति कर सकते हैं। इसकी कोई निर्धारित आवृत्ति नहीं है। तीन साल या चार साल में एक बार, अनियमित रूप से भुगतान किया जाना एक सामान्य बात है।

स्कूल के मालिकों के द्वारा कई बार यह बताया गया है कि प्रतिपूर्ति जारी करने वाले अधिकारी संबंधित अधिकारी जारी किए जाने वाले भुगतान 2–5 प्रतिशत कमीशन लेते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

ये प्रवृत्ति परेशान करने वाली है।

स्कूल के मालिकों के द्वारा कई बार यह बताया गया है कि प्रतिपूर्ति जारी करने वाले अधिकारी संबंधित अधिकारी जारी किए जाने वाले भुगतान 2–5 प्रतिशत कमीशन लेते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

स्कूल संघों को अपने राज्यों में लागू किए जाने के लिए "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित पृष्ठभूमि से संबंधित बच्चों के प्रवेश हेतु प्रतिपूर्ति की सरलता" नामक पांच–सूत्रीय घोषणा–पत्र की मांग अवश्य ही करनी चाहिए।

पहला, शिक्षा पर राज्य के आवर्ती व्यय के साथ–साथ पिछले साल सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले सार्वजनिक डोमेन में अवश्य डाल दिया जाना चाहिए।

दूसरा, स्कूलों को त्रैमासिक या शुरुआत में कम से कम अर्ध वार्षिक रूप से भुगतान किया जाना चाहिए।

तीसरा, यदि भुगतान में एक निश्चित समय–सीमा से अधिक विलंब होता है, तो बकाया धनराशि के साथ ब्याज का भुगतान भी अवश्य ही किया जाना चाहिए।

चौथा, यदि निश्चित समय–सीमा के भीतर कोई आपत्तियां नहीं उठाई जाती हैं, तो यह माना जाना चाहिए कि दस्तावेज प्रतिपूर्ति के लिए अनुमोदित हैं।

पांचवाँ, विभाग को यूनिफॉर्म (गणवेश) और पुस्तकों के लिए सीधे माता–पिता को भुगतान करना चाहिए।

स्कूलों को सरकार द्वारा तय दरों पर बच्चों को किताबें और यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए नहीं कहा जा सकता है। यह ऐसा संपत्ति हरण है जिसकी पुष्टि शिक्षा के अधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से व्यक्त कर मान्य की गई या अधिसूचित की गई नहीं है। स्कूल शिक्षा प्रदान करते हैं लेकिन वे किताबें या यूनिफॉर्म नहीं बनाते हैं और नही किताबों या यूनिफॉर्म की बिक्री करते हैं। स्कूलों से यूनिफॉर्म और किताबों के लिए भुगतान करने की अपेक्षा करना उन पर अत्यधिक बोझ डालना है जो अनुचित है।

सभी स्कूल मालिकों को इस उद्देश्य के लिए एक जुट होना चाहिए और इस घोषणा–पत्र को लागू करवाना चाहिए।

स्कूल खोलने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की स्थापना करें

स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में

वर्तमान में सरकारी स्कूलों में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) का काम वहां उपलब्ध आधारभूत भौतिक संरचना और अध्यापकों की उपस्थिति पर नजर रखना है। अध्यापकों की कक्षा में उपस्थिति और अनुपस्थिति पर निगाह रखना बहुत जरूरी काम है। एसएमसी वित्तीय मामलों में दखल नहीं देती है।

प्राइवेट स्कूलों में एसएमसी के गठन का प्रस्ताव पूरी व्यवस्था को चौपट कर देगा। एसएमसी के सदस्य सभी चीजों की व्याख्या तो करेंगे लेकिन वित्तीय निवेश के लिए जवाबदेह नहीं होगा जिसका प्रबंध निजी प्रबंधन को ही करना होगा। इसे चाहे किसी भी तरीके से देखा जाए यह अनुचित ही होगा।

स्कूलों को किसी प्रकार का संरक्षण प्राप्त नहीं

देश भर में शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों के साथ हाथापाई किए जाने की कई घटनाए घटित हुई हैं। ऐसी मामलों को रोकने के लिए एक स्कूल प्रोटेक्शन एक्ट की सख्त जरूरत है। शिक्षक या प्रधानाचार्य पर हमला गैर–जमानती कृत्य घोषित होना चाहिए। कहा जाता है कि भारत में शिक्षकों को गुरु के रूप में सम्मान दिया जाता था और सबके द्वारा उनका ख्याल रखा जाता था। अत्यंत दु:ख की बात है कि आज हम एक ऐसे दौर में पहुँच गए हैं, जबकि उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता पड़ने लगी है।

आरटीई में संशोधन करें, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) लाएं

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) ने कृषि क्षेत्र से बिचौलियों को खत्म कर दिया है, खासकर तेलंगाना राज्य से। आरटीई अधिनियम में भी संशोधन कर इसमें डीबीटी को लागू किया जाना चाहिए। इससे कई लाभ होंगे क्योंकि माता–पिता के पास अपने बच्चों को उनकी पसंद के स्कूल में दाखिला दिलाने का विकल्प होगा।

एस मधुसूदन
वाइज़ प्रेसिडेंट, निसा

नियमन

दशकों से राज्य सरकारों ने स्कूल भवनों के लिए विशिष्टताओं में बदलाव लाया है। नेशनल बिल्डिंग कोड 2004 को 2009 में लागू किया गया था। अनेकों स्कूल ऐसे हैं जो कई दशक पहले से चल रहे हैं और तात्कालिन मानदंडों के अनुसार स्थापित किए गए थे, और अब उन्हें वर्तमान के नियमों के अनुपालन के लिए कहना गलत है।

ट्रस्ट/सोसाइटी के नामकरण को बनाए रखते हुए, ऐसे प्रावधान किए जाने चाहिए जो नए खुलने वाले निजी स्कूलों को फर्म्स के तहत पंजीकरण कराने और लाभ के उद्देश्य से कार्य करने की आजादी प्रदान करे। साथ पहले से चल रहे स्कूलों को भी अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लाभ अर्जित करने की छूट देनी चाहिए और स्कूलों को जीएसटी के तहत लाना चाहिए।

एक स्कूल को शुरु करना बहुत सारी जटिलताओं और पेंचीदगियों से भरा हुआ है। लालफीताशाही और कई मंजूरियों की जरुरतों को कम करने और सिंगल विंडो सिस्टम का मार्ग प्रशस्त करने की आवश्यकता है।

क्षमताओं का विकास

सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को निरंतर पेशेवर विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह प्रावधान सभी निजी स्कूलों शिक्षकों के लिए भी होना चाहिए।

स्वास्थ्य क्षेत्र की तरह ही जहां कि लाभ अब एक 'बुरा' शब्द नहीं है, निजी स्कूल शुरु करने के इच्छुक लोगों को भी गैर–लाभकारी और लाभ अर्जित करने के उद्देश्य के विकल्प का चयन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

सभी शैक्षणिक संस्थाओं की निगरानी

और उनके नियमन के उद्देश्य से राज्य शिक्षा आयोग (आरएसए) जैसे पत्थर के खंभों वाली एक और संचरना की स्थापना करने का इरादा अच्छा है लेकिन क्या यह पूरे देश को एक सूत्र में पिरो सकता है जो कि बहुत जटिल संरचना है, और यही वह प्रश्न है जो शिक्षाविद पूछ रहे हैं।

DNEP का सबसे अधिक विवादास्पद मुद्दा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) को लेकर है। नीतिगत मसौदा कहता है कि 'शिक्षकों और प्राचार्यों को स्कूलों के दिन प्रतिदिन के संचालन के लिए आवश्यक छोटे छोटे फैसले लेने की भी अनुमति नहीं हैं जो उन्हें लेने चाहिए जैसे कि शैक्षणिक तौर तरीके और शिक्षण प्रशिक्षण सामग्री, समय सारणी व साधारण वित्तीय मामले भी शामिल हैं। इसके बावजूद शिक्षकों व प्राचार्यों को मुख्य रूप से अभिभावकों और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों (स्थानीय, कॉर्पोरेट, राजनेता आदि आदि) के प्रति जवाबदेह बनाया जा रहा है जो कि शिक्षकों और प्राचार्यों को दिन प्रतिदिन की कार्रवाई वाले मुद्दे पर दिशा निर्देश देंगे।'

निजी स्कूलों के संचालन में हस्तक्षेप न करने की नीति के समर्थकों का कहना है कि वर्ष 2017–18 में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के वेतन पर प्रति माह प्रति छात्र 4,326 रुपए खर्च किये गये, लेकिन उत्पादन के मामले में स्थिति संतोषजनक होने से कोसो दूर है। ऐसे परिदृश्य में, जरुरी हो जाता है कि निजी स्कूलों का संरक्षण किया जाए।

नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के लिए 5+3+3+4 मॉडल वाली नीति का मसौदा तैयार करने का स्वागत करते हुए निसा के मधुसूदन कहते हैं कि, "शिक्षा नीति के संदर्भ में प्रस्तुत मसौदे के इरादे अच्छे हैं, लेकिन कार्यान्वयन की दिशा में आगे की राह दिखाने की भी जरूरत है।"

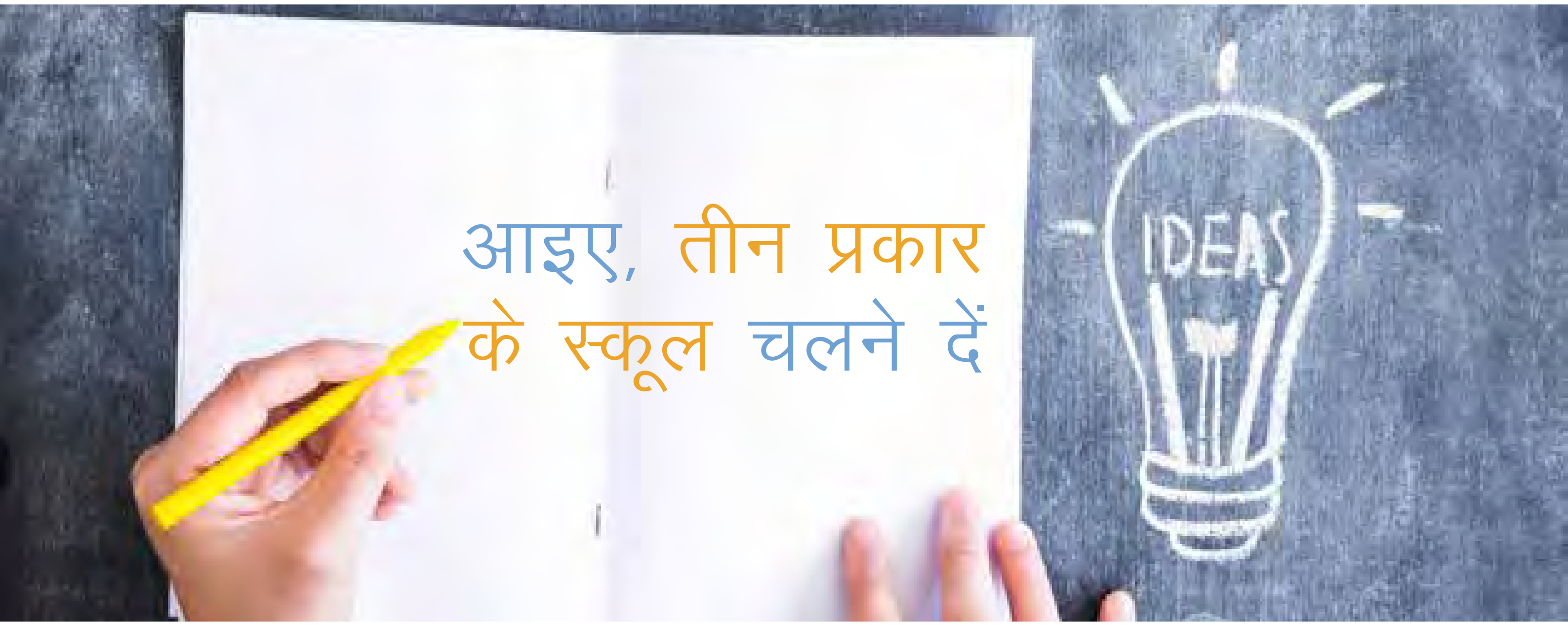

आइए, तीन प्रकार के स्कूल चलने दें

बजट स्कूलों पर

इन बजट स्कूलों में मुख्य मुद्दे होते हैं क्योंकि इन स्कूलों में फीस 6000–30,000 रुपये प्रति वर्ष के बीच होती है। ये ऐसे स्कूल हैं जो आम जनता को अपनी सेवाएं देते हैं। गुणवत्ता युक्त शिक्षा हासिल करने के उद्देश्य से जब बच्चे या अभिभावक सरकारी स्कूलों से बाहर जाने का फैसला करते हैं तो उनकी मंजिल निजी स्कूल ही होते हैं। इसके लिए वे अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार स्कूलों का चुनाव करते हैं। इस प्रकार अपनी आय के अनुसार वे आस पड़ोस के बजट स्कूलों को चुनते हैं। ऐसा वे इसलिए करते हैं क्योंकि ये अभिभावक उच्च शुल्क वाले स्कूलों में नहीं जा सकते। आरटीई एक्ट के कई प्रावधानों के कारण ये बजट स्कूल दबाव में हैं और इन्हें लगातार बंद करने के नोटिस मिल रहे हैं। स्कूलों के बंद होने पर यहां पढ़ने वाले छात्रों के साथ क्या होता है और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके पास क्या विकल्प बचते हैं?

इसलिए आम जनता के लिए काम करने वाले इन स्कूलों को बंद करने की बजाए संरक्षित करने की जरूरत है।

इस प्रकार, तीन तरह के स्कूलों की आवश्यकता है

1. सरकारी स्कूल
2. धर्मार्थ स्कूल
3. निजी स्वायत्त (लाभ के लिए कार्यरत) स्कूल (कर लगाये जाने योग्य)

तीनों श्रेणियों के स्कूलों के लिए अलग–अलग थर्ड पार्टी द्वारा सिलबेस का निर्धारण और स्वायत्त संस्था के द्वारा परीक्षा और मूल्यांकन की व्यवस्था होनी चाहिए।

महाराष्ट्र का परिदृश्य

कई स्कूलों को ईडब्लूएस छात्रों को दाखिला देने के ऐवज में मिलने वाली प्रतिपूर्ति की राशि पिछले छह वर्षों से प्राप्त नहीं हुई है तो कई स्कूलों को पैसा सही अनुपात में नहीं मिल रहा

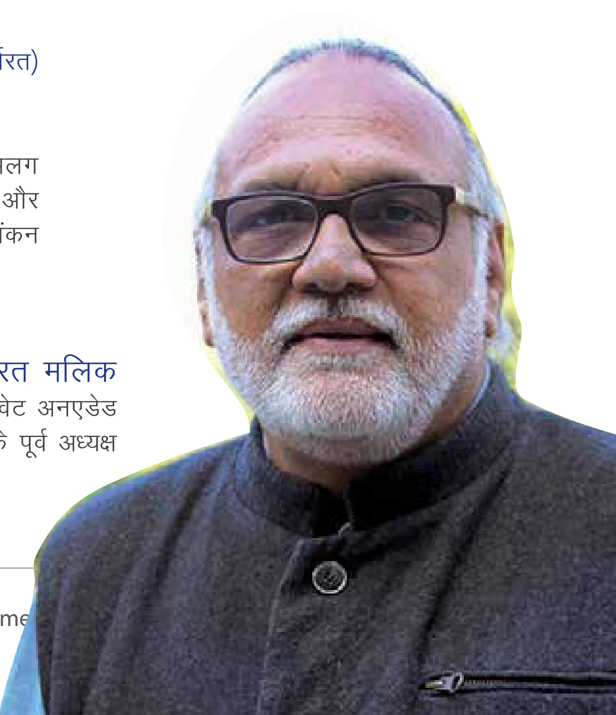

भरत मलिक
निसा के संस्थापक सदस्य और प्राइवेट अनएडेड स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन, महाराष्ट्र के पूर्व अध्यक्ष

है। इस कारण स्कूल अत्यंत दबाव में हैं। अगर समय पर पैसे नहीं मिलते हैं तो स्कूलों की पहले से खराब वित्तीय स्थिति और खराब होने लगती है। ऐसी परिस्थिति में स्कूलों का लंबे समय तक टिक पाना संभव नहीं है।

फीस नियंत्रण पर

फी रेग्युलेशन एक्ट का मामला राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के तहत आता है। कई सरकारों ने अपने यहां फी रेग्युलेशन एक्ट लागू किये हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि पीटीए (पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन) और स्कूल प्रबंधन को बैठकर चर्चा करनी होगी कि यह कैसे किया जा सकता है। इस अधिनियम के कारण भी समस्या उत्पन्न हो रही है और स्कूलों की स्थिरता और गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। कई बार अभिभावक स्कूलों के खिलाफ आंदोलन करते हैं। ऐसे आंदोलनों से समाज और समुदाय का पूरा वातावरण अस्त व्यस्त होता है। इसका ज्वलंत उदाहरण गुजरात का है। यह राज्य इस फी रेग्युलेशन एक्ट के कारण बुरी तरह से प्रभावित है। ऐसे आंदोलन मुकदमेबाजी में परिवर्तित हो जाते हैं और स्टेट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान स्कूल प्रबंधन को बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है और ये प्रक्रिया आखिरकार बच्चों को ही प्रभावित करती है। मुकदमेबाजी की कीमत भी इन बच्चों पर ही जाती है।

यदि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है और उसमें हितधारकों को ध्यान में रखा जाता है तो इसे स्कूलों के समक्ष उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों और उनकी जमीनी हकीकत की पहचान अवश्य करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण कारक स्वायत्तता है जिसके कारण ढेरों नए स्कूलों खुलेंगे जो समुदाय की सहायता करेंगे और समाज की सेवा भी करेंगे। बहुत अधिक नियंत्रण भ्रष्टाचार का कारण बनते हैं इसलिए नए स्कूलों के खुलने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली होनी चाहिए। यह सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। कभी–कभी राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए अभिभावकों के आंदोलन को राजनीतिक दलों द्वारा अपहृत कर लिया जाता है और इससे स्कूल में और आसपास बहुत गड़बड़ी होती है।

स्कूलों का वर्गीकरण हो

हमारे पास तीन प्रकार के स्कूल हो सकते हैं:–

– सरकार द्वारा संचालित स्कूल,
– ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूल और
– लाभ के लिए चलने वाले स्कूल।

हम सत्य को स्वीकार क्यों नहीं करते और युवा भारत को शिक्षा की स्वतंत्रता और विकल्प क्यों नहीं देते हैं?

क्षेत्रीयता वाले पहलू की अनदेखी नहीं की जा सकती

तमिलनाडु में सरकार की कार्यप्रणाली

तमिलनाडु में 12 वर्षों के बाद राज्य सरकार ने पाठ्यक्रम में एक बड़ा बदलाव लाते हुए इसे सीबीएसई के समान करने का प्रयास किया है। चूंकि वर्तमान में पाठ्यक्रम (सिलेबस) और पाठ्य विवरण (करिकुलम) बिल्कुल अलग है और अचानक से इसे परिवर्तित करने पर छात्रों के पढ़ने का तौर तरीका प्रभावित होगा इसलिए इसे एक बार में लागू करने की बजाय चरणबद्ध तरीके से पेश किया जाना चाहिए। पहले की तुलना में अब किताबें भारी हो गई हैं, पाठ्यक्रम का हिस्सा बड़ा हो गया है और शिक्षण पद्धतियां आदि भी प्रभावित हुई है।

शिक्षा और लाभार्जन

निश्चित तौर पर शिक्षा को लाभार्जन माध्यम में लाने की आवश्यकता है। इसे सरकार के नियंत्रण से आजाद कराकर स्वायत्त बनाना चाहिए। हम करों का भुगतान करने के लिए तैयार हैं लेकिन साथ ही हम आर्थिक पक्ष में भी स्वायत्तता चाहते हैं। स्कूलों के दैनिक प्रबंधन के संदर्भ में हमारे पास जो स्वायतता है, वैसी ही स्वायतता हम आर्थिक पहलुओं के संदर्भ में भी चाहते हैं।

हमारे समक्ष सबसे बड़ी समस्या आरटीई है और सरकार को निजी स्कूलों में नामांकित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए 25: शुल्क की प्रतिपूर्ति समय से करनी चाहिए।

प्रतिपूर्ति मिलने में बहुत अधिक विलंब होता है, और कभी–कभी तीन–चौथाई राशि का भुगतान किया ही नहीं जाता है जिससे स्कूलों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।

स्कूलों के समक्ष गैर लाभकारी और लाभ अर्जित करने वाले मॉडल के बीच चयन करने का विकल्प मौजूद होना चाहिए और यह विकल्प नए खुलने वाले स्कूलों के साथ ही साथ पहले से मौजूद स्कूलों के लिए भी उपलब्ध होना चाहिए।

मार्टिन कैनेडी
प्रेसिडेंट, तमिलनाडु प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन

एडुप्रेन्योर्स (शिक्षा उद्यमियों) को प्रोत्साहित कीजिए

शिक्षा के लाभार्थ होने के विषय पर

यह लाभार्जन वाले प्रारुप में होना चाहिए; सभी शिक्षा उद्यमी (एजुकेशनल आंत्रप्रेन्योर) थोड़ा बहुत धन कमा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले सभी लोग उत्साहपूर्ण तरीके से स्कूलों के लिए काम कर रहे हैं। और यदि वे इतने ही वाणिज्यिक उद्देश्य वाले होते तो वे कुछ और व्यवसाय शुरु करते न कि इस क्षेत्र में आते। इसे कानूनी बनाया जाना चाहिए और लाभ अर्जित करने देना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इसे कानूनी रुप से लाभ कमाने वाला क्षेत्र बनाया जाना चाहिए न कि वर्तमान सरीखा जहां ऐसा करना गैरकानूनी है।

चुनौतियां

नई शिक्षा नीति कमेटी में पांच सदस्य हैं और इन पांच में से चार नौकरशाह (ब्यूरोक्रेट्स) हैं और एक शिक्षाविद् पहले से ही विवादों में है। हम शिक्षा के माध्यम से वैश्विक नागरिक तैयार करना चाहते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली की जड़ें संविधान आधारित हैं जिसके मुताबिक शिक्षा का आधार वैज्ञानिक मिजाज वाला होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि एनईपी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रहित है और इसकी जड़ें इतिहास में हैं।

लाभ के उद्देश्य वाली शिक्षा अभी गैर कानूनी है। शिक्षा उद्यमियों को प्रोत्साहित कीजिए।

शिक्षा और लाभ के बारे में

गैर–लाभकारी संस्थान होने से हमें क्या मिलता है? हम शिक्षा के क्षेत्र के लिए बड़ी राशि खर्च करते हैं। शिक्षा को कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) माना जाता है। स्कूल संचालकों के समक्ष इस बात का विकल्प मौजूद होना चाहिए कि उन्हें यह सीएसआर के लिए करना है या लाभार्थ।

स्वायत्तता ही एकमात्र उपाय है। 11 न्यायाधीशों (टीएमए–पाई मामले में) का लोकप्रिय निर्णय भी कहता है कि – स्कूलों को उचित स्वायत्तता होनी चाहिए। पाठ्यक्रम आधारित हो तो एक राष्ट्र– एक पाठ्यक्रम में कोई समस्या नहीं है। अब वे विशिष्ट अवधारणाओं को सिखाने के लिए अपनी स्वयं की सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। पाठ्यक्रम को सीखने के परिणाम और अवधारणा आधारित होना चाहिए।

दीपक खैतान
प्रेसिडेंट, ऑल गोवा गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड
अनएडेड स्कूल्स एसोसिएशन

स्कूलों को स्वायत्तता दी जाती है तो सबका फायदा होगा

चुनौतियां

समस्याएं मुख्य रूप से आरटीई अधिनियम के कारण ही हैं, जिससे स्कूलों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है और वे बंद हो रहे हैं। छात्रों की संख्या बढ़ रही है जबकि शुल्क प्रतिपूर्ति में देरी हो रही है। समस्या बढ़ती जा रही है और असहनीय होती जा रही है। पिछले कुछ वर्षों के भीतर महाराष्ट्र सरकार ने कई नए जीआर (गवर्नमेंट रेग्युलेशंस) जारी किए हैं जो पिछले जीआर और कानूनों के विरोधाभासी हैं। जीआर भी छात्रों के हित को लेकर नहीं हैं। आरटीई आने के बाद लाइसेंस राज और अधिक विस्तारित हुआ है और भ्रष्टाचार और उत्पीड़न काफी बढ़ गया है। कई बार कागजी काम बढ़ जाता है और काम ऑनलाइन नहीं होने से अंततः भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। भष्टाचार उत्पीड़न का एक साधन है, कागज के काम को कम करने और इसे पारदर्शी बनाने से भ्रष्टाचार कम होगा। ये ही हमारे समक्ष मुख्य चुनौतियां हैं।

स्वायतता के बारे में

यह बहुत स्पष्ट है कि वर्तमान परिदृश्य में स्वायत्तता ही शिक्षा की सफलता की कुंजी है। स्वायत्तता के साथ ही सरकार की उद्यमिता की प्रवृति की सराहना करनी चाहिए। स्कूल संचालकों के जीवन को आसान बनाते हुए नए स्कूलों के खुलने का समर्थन करना चाहिए जिससे अभिभावकों को फायदा होगा और अलग अलग प्रकार के स्कूलों तक उनकी पहुंच बढ़ेगी। वे गुणवत्ता, पाठ्यक्रम, पाठ्येतर (एक्स्ट्रा करिकुलर) गतिविधियों आदि का चयन कर सकेंगे। इसके लिए सरकार को नए उद्यमियों के शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश की सराहना करनी चाहिए और उन्हें सहयोग प्रदान करना चाहिए जिससे इस क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बढ़ने से शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी और नए नए इनोवेशंस को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्कूलों और छात्रों दोनों का विकास होगा। सरकारी स्कूलों को भी स्वायतता प्रदान करनी चाहिए जिससे प्रधानाचार्य अथवा स्कूल लीडर को वहां की गुणवत्ता सुधार की दिशा में कार्य करने की आजादी मिले।

राजेंद्र सिंह
वर्किंग प्रेसिडेंट, इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल्स एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र

शिक्षा का माध्यम चुनना अभिभावकों का काम

सरकार की तरफ से बाधाएं

सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि इंस्पेक्टर राज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। जब आप संगठनों या समूह के रूप में कार्य करते हैं तो इसका प्रतिरोध होता है। और यदि आप अकेले और व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं तो आपका उत्पीड़न होता है और अत्यधिक भ्रष्टाचार होता है। इसे नियंत्रित करने के लिए संगठन अति आवश्यक हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कि उनके स्वयं के नियमों और विनियमों पर प्रश्नचिन्ह नहीं उठते। सभी चीजें सही क्रम और प्रक्रिया से चल रही हैं यह देखने के लिए हमें आवाज उठानी ही होगी।

राज्य सरकारों की तरफ से चुनौतियां

पहली चुनौती शिक्षा प्रदान करने का माध्यम है, जिसके लिए हमने 23 वर्षों तक संघर्ष किया और इस संदर्भ में कानून बनवाया। क्षेत्रीय भाषा का अध्ययन माता–पिता का एक मौलिक अधिकार है, और इस अधिकार के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी और संवैधानिक पीठ ने इसके समर्थन में निर्णय दिया।

दूसरा, हम सरकार द्वारा स्कूलों की फीस को कड़ाई से नियंत्रित करने की पॉलिसी के खिलाफ लड़ें। हमने सरकार को यह समझाया कि फीस तय करना उनका कार्य नहीं है। उनका कार्य केवल इसे नियमित (रेग्युलेट) करना भर है। अथक प्रयासों के बाद हम सरकार को समझाने में कुछ हद तक सफल रहें और आज फीस रेग्युलेट करने का श्रेष्ठ तरीका कर्नाटक के पास है।

तीसरी चुनौती है आरटीई। इसमें बहुत सारी खामियां हैं। इसके लिए हमने बहुत प्रयास किये, कोर्ट केस किए तब जाकर कर्नाटक सरकार को पता चला कि यह अधिनियम वास्तव में है क्या? अब सरकार आरटीई को पहले अपने स्वयं के स्कूलों में लागू करने की जिम्मेदारी ले रही है। इसके बाद यदि 1 से 5 किलोमीटर के भीतर कोई दूसरा स्कूल नहीं बचता है तब जाकर आरटीई के तहत गैर सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा। इस प्रकार, सरकार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास तो हुआ है, लेकिन फिर भी उसपर निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों का 1,600 करोड़ का बकाया है।

शिक्षा विभाग नए नए नियम और कानून तो बनाता है लेकिन अपने स्वयं के स्कूलों में भी वे इसका कभी भी पालन नहीं करते हैं।

फीस नियंत्रण की चुनौतियां

फीस निर्धारित करना गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों का निजी मामला है। यह बहुत स्पष्ट है कि प्रत्येक निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं, भौतिक संरचनाओं और सेवा के ऐवज में उचित शुल्क तय कर सकता है। किसी भी सरकार को यह तय करने का कोई अधिकार नहीं है लेकिन यह उसे विनियमित कर सकती है। लेकिन नियमन के नाम पर सरकार फीस तय करने की कोशिश करती है जो कि निजी गैर–मान्यता प्राप्त स्कूलों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। यह 50 के दशक में कर्नाटक के टीएमए–पाइ बनाम कर्नाटक सरकार मामले में पारित आदेश में भी स्पष्ट है। इसलिए सरकार को कानून का पालन करना ही चाहिए।

शशि कुमार
जनरल सेक्रेटरी, असोसिएटेड मैनेजमेंट ऑफ इंगलिश मीडियम स्कूल्स, कर्नाटक

निजी संस्थानों के प्रबंधन मे हस्तक्षेप गलत!

प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी को बहुमुखी प्रतिभा का धनी बनाना था। उस समय जो शिक्षा दी जाती थी, वह व्यक्ति को आत्मनिर्भर, चिंतक और सद्मार्गी बनाती थी। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की नींव बहुत मजबूत थी। समय के परिवर्तन के साथ–साथ शिक्षण पद्धति में अंतर आया। अंग्रेजों ने भारत को अपने अधीन बनाने के लिए सबसे पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया। प्राचीन भारतीय शिक्षा का उद्देश्य कहीं खो गया। जिस शिक्षा का उद्देश्य मनवता का विकास, आत्मनिर्भरता चरित्र निर्माण था, उसका स्थान नौकरी पाना ने ले लिया। शिक्षा की प्राप्ति आज नौकरी पाने का साधन बन गई है। आज की शिक्षा पद्धति न तो अच्छे नागरिकों का निर्माण कर सकती है, न ही अच्छे सेनानी दे सकती है।

स्वतंत्रता के बाद जहाँ एक ओर हमारे पास संसाधनों का अभाव था, वहीं दूसरी ओर जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई। इस कारण एक बड़ी आबादी के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना सरकार के वश की बात नहीं थी, इसलिए भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बिना किसी शर्त के प्रोत्साहन दिया, जिससे देश में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने में सहयोग मिले। निजी क्षेत्र को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए, जैसे कि निजी संस्थानों को आर्थिक सहायता देना, उनके लिए अनुदान की योजना, शैक्षणिक इमारत हेतु कम मूल्य पर भूमि उपलब्ध कराना आदि। सरकार के द्वारा प्रोत्साहन दिए जाने से शिक्षा के क्षेत्र में निजी संस्थानों के आने से शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो रहा है। इनके जरिए बहुतायत से शिक्षित युवाओं को रोजगार अवसर मिल रहे हैं।

पर अत्यंत अफसोस का विषय है कि जिस निजी क्षेत्र को सरकार स्वयं देश के शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए प्रोत्साहित करती रही थी, नई शिक्षा नीति के प्रारूप में उसी निजी क्षेत्र के दमन का भरसक प्रयास नजर आता है। सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में सरकार मूलभूत शिक्षा के लिए बहुत बड़ी मात्रा में बजट उपलब्ध कराती है। आप और हम सभी सरकारी विद्यालयों की शिक्षा के स्तर से भली–भाँति परिचित हैं। बड़े–बड़े नेता, अभिनेता, प्रशासनिक अधिकारियों को तो छोडिए, एक आमजन भी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेजने को तैयार नहीं होता, जिसका मुख्य कारण है शिक्षा की गुणवत्ता। निजी क्षेत्रों के विद्यालयों का प्रबंधन इस प्रकार किया जाता है कि शिक्षा की गुणवत्ता में उत्तरोत्र वृद्धि ही हो, गिरावट न आए।

छात्रों के सर्वांगीण विकास की दिशा में विद्यालयों के प्रबंधन की बागडोर अप्रत्यक्ष रूप से प्रबंध तंत्र से लेकर जन प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अभिभावकों को सौंपने की तैयारी है। विद्यालय एक ऐसा स्थल होता है, जहाँ राजनैतिक दाँव–पेच नहीं, छात्रों का कल्याण एवं विकास सर्वोपरि होता है। और छात्रों के हित को ध्यान में रखकर सतत् नवीन तकनीकी और पद्धति को बढ़ावा देने वाले प्रबंध तंत्र को संस्था के प्रबंधन में गौण कर देने से निश्चित रूप से निजी संस्थानों की गुणवत्ता में कमी ही आएगी। अगर सरकार को शैक्षणिक स्तर को सुधारना ही है तो उसे सरकारी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का पुरजोर प्रयास करना चाहिए, न कि छात्रों को सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए सतत् प्रयत्नशील निजी संस्थानों को निम्न स्तर पर लाने के नियम बनाने चाहिए। राजनीति तथा प्रशासनिक तंत्र में भ्रष्टाचार रूपी कोड को दूर करके शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने की पहल की जाने की आवश्यकता है।

डॉ. सुशील गुप्ता
निदेशक, प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल, आगरा
अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा
रीजिनल कन्वीनर, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड, नेशनल इंडिपेंडेंस स्कूल एलायन्स

NEP
वास्तविकता को स्वीकार करें

स्कूलों को 'नॉट फॉर प्रॉफिट' के बंधन से मुक्ति कब?

डॉ. दिलीप मोदी

चेयरमैन, जीवेम एजुकेशन
राजस्थान राज्य प्रभारी, निसा

आज 85% ग्रेजुएट्स और ईंजीनियर्स जॉब के लायक नहीं है! फिर क्यों हम कागजी शेर तैयार कर रहे हैं? ऐसी शिक्षा से युवा न तो रोजगार के लिए तैयार हुआ और कागजी प्रमाण पत्र हाथ में लेकर ना ही खेती–बाड़ी / मजदुरी या हाथ की स्किल की ओर वह कभी जाएगा.. आखिर कहां ले जा रहे हैं हम देश को ??

एक चिंतन...

मुक्त बाजार में हमेशा फायदे में उपभोक्ता ही रहता है। प्रतिस्पर्धा स्वतः ही हर चीज को बैलेंस कर देती है। आजादी के बाद 73 साल से सरकारी एकाधिकार ने ही शिक्षा का बंटाधार किया हुआ है। BSNL के समय टेलिफोन सेवा और शुल्क याद करो और अब मुक्त मोबाईल सेवा और शुल्क तथा क्वालिटी की तुलना करो। सिर्फ दूरदर्शन था तब और अब हजारों प्राइवेट चैनल में से चुनने के विकल्प और गुणवत्ता देखो। राष्ट्रीयकृत बैंकों के एकाधिकार के समय को याद करो और अब ICICI, HDFC जैसे निजी बैंकों की सेवा और तकनीकी सुविधाओं में अंतर महसूस करो।

जिस किसी भी सेवा क्षेत्र में सरकारी उपक्रमों का एकाधिकार या अनावश्यक नियंत्रण है वही क्षेत्र आज भी बर्बाद है जैसे Air India, Indian Postal Services, SAIL, STCL, MTNL निजी क्षेत्र में सही मूल्य पर उच्च गुणवत्ता बाजार स्वयं बैलेंस कर लेता है। कैसी भी शिक्षा निति बना लो... अगर शिक्षा में स्वायत्तता नहीं दी गई तो जो आजादी के 73 वर्ष बाद भी नहीं कर पाए अब वही लोग आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सरकारी स्कूलों में प्रति विद्यार्थी आज भी औसतन 6 हजार रूपए प्रतिमाह से भी अधिक केवल शिक्षकों के वेतन पर ही खर्च हो रहा है। फ्री स्कीम, भूमि, भवन, फर्नीचर, साधन, सुविधा, सरकारी विभागों का भारी भरकम खर्च अलग है, और आउटपुट / क्वालिटी क्या आ रही है? यहां भी आपका मेरा टैक्स का पैसा ही बर्बाद हो रहा है। चूंकि गरीब जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है उसे लगता है कि सब कुछ मुफ्त में मिलता है, इसलिए वह बोलता नहीं और जो टैक्स देता है, उसका डाईरेक्ट इन पर कोई नियंत्रण नहीं !!! इसलिए बोले कौन ??

उपाय एक ही है, DBT अर्थात् Direct Benefit Transfer 3000/– रूपए प्रतिमाह का वाउचर विद्यार्थी को दो और उसे अपने पसंद की स्कूल चुनने की आजादी दो। सरकार के प्रति विद्यार्थी वर्तमान खर्च के आधे से भी कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने की गारंटी है।

क्वालिटी की शिक्षा चाहिए तो इसे मुक्त बाजार के हवाले करना ही होगा वरना जो चल रहा है यह वैसे ही आगे भी चलेगा, सरकारें आएंगी, जाएंगी, नितियां बनेंगी, फिर नई बनेंगी, फिर नई बंदर बाट यूं ही होती रहेगी। ना कोई अपनी मर्जी से शिक्षा दे सकता है, ना ले सकता है। जब हर व्यक्ति का DNA गुण धर्म अलग अलग है तो सबको सरकार की पसंद की ही शिक्षा लेने पर बाध्य क्यों किया जा रहा है??? और उससे अब तक क्या मिल गया?? ना जाने कितने प्रयोग आपने कर लिए अब तक, शिक्षा को स्वायत्तता देकर एक प्रयोग और कर लो। क्या लूट जाएगा आपका, नियंत्रण के अलावा!!

इसे अगर दूसरे शब्दों में कहें तो यदि सरकारी खज़ाने से 1 रूपया खर्च होता है तो फिल्ड में विद्यार्थियों को 15 पैसे (15%) के बराबर मूल्य की भी शिक्षा नहीं मिल पाती है। यदि सरकार वास्तव में शिक्षा में सुधार चाहती है तो इसे सभी "बिचौलियों" से मुक्त करना होगा।

इस समय मंदी से उबरने का रामबाण उपाय यह है कि शिक्षा को वैधानिक तरीकों से लाभ के लिए खोल दीजिए, (कोचिंग के अवैध धंधों से या पीछे के रास्तों से काले धन के रूप में नहीं) उस पर टैक्स वसूल कीजिए। इससे रियल एस्टेट, वाहन उद्योग समेत सभी एजुकेशन सपोर्ट सर्विस सेक्टर में जबरदस्त तेजी न आ जाए तो कहना।

National Independent Schools Alliance

नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस (नीसा)

अनुशंसाएँ

1 स्कूलों को स्वायत्तता

समय, शुल्क, शिक्षक वेतन, पाठ्यक्रम, बुनियादी ढांचा सुविधाओं आदि के मामले में स्कूलों की स्वायत्तता को लगातार खतरा रहता है। स्वायत्तता की कमी होने से एक मुख्य समस्या अभिप्रेरणा की कमी, नवप्रवर्तन की सीमित गुंजाइश और निष्पादन करने हेतु शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए सीमित प्रोत्साहन होता है। नवप्रवर्तन करने और क्रमशः अपने स्कूलों और कक्षाओं में सुधार लाने में समर्थ बनाने के लिए, यह जरूरी है कि स्कूलों को अधिक से अधिक निर्णय लेने की शक्तियाँ और स्कूल वित्त जैसे संसाधनों पर नियंत्रण दिया जाना चाहिए। विभिन्न कारकों के आधार पर बच्चे को रोकने या न रोकने का निर्णय स्कूलों पर छोड़ दिया जाना चाहिए और यह राज्य द्वारा नहीं किया जा सकता है।

2 स्कूल खोलने की सुगमता

जिस देश में ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोलने की जरूरत हो, वहाँ यह जानकर निराशा होती है कि स्कूल खोलना और चलाना कितना मुश्किल है। अपनी अवस्थिति और कक्षाओं (प्राथमिक, माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक) के आधार पर स्कूलों को 15 से 36 अनुमतियों (प्रमाण पत्र, अनुमोदन, दस्तावेज) या इससे भी अधिक की आवश्यकता पड़ती है। समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों का पालन करते हुए मानदंडों के अनुसार स्कूल चलाना और भी कठिन हो जाता है। समयबद्ध तरीके से सभी अनुमतियाँ प्राप्त करने के संबंध में 'सिंगल विंडो क्लीयरेंस' शुरू करने का समय आ गया है ताकि अधिक से अधिक स्कूल खुल सकें और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में योगदान कर सकें।

3 परिणाम आधारित विनियमन

स्कूली शिक्षा के विनियमन के वर्तमान दृष्टिकोण में एक मुख्य चुनौती यह है कि यह अत्यधिक आदान संचालित है यानी विनियमन बुनियादी ढांचे, शिक्षक वेतन, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित विभिन्न मानदंडों के अनुपालन आदि पर केंद्रित होता है। इसके चलते देश भर में लगभग 1 लाख स्कूल बंद हो गए हैं। हमें विनियमन की ऐसी प्रणाली प्रचलित करनी चाहिए, जहां अधिगम परिणाम सरकारी और निजी दोनों स्कूलों के विनियमन के प्रमुख कारक बन जाते हैं।

4 स्कूलों की मान्यता और बोर्ड का चुनाव

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राज्य के नियम मान्यता प्राप्त स्कूलों से हर तीन वर्ष में फिर से मान्यता लेने की माँग करते हैं। इससे स्कूलों पर अनावश्यक बोझ पड़ता है और भ्रष्टाचार का मार्ग प्रशस्त होता है और इसे कम किया जाना चाहिए। राज्य सरकार मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे के निरीक्षण के बाद स्कूलों को मान्यता प्रदान करती है। मान्यता प्राप्त होने के बाद, स्कूल को बोर्ड (राज्य, सीबीएससी, आईसीएसई आदि) चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। बोर्डों को संबद्धता के लिए अपनी शर्तों थोपने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बोर्डों को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अपनी भूमिका पाठ्यचर्या, पुस्तकें निर्धारित करने, परीक्षा आयोजित करने, अनुसंधान तक सीमित रखना चाहिए।

5 लाभ या गैर-लाभ का विकल्प

भारत में स्कूलों के लिए गैर-लाभकारी संस्था होना अनिवार्य है। जहाँ स्कूलों को लाभ कमाने की अनुमति नहीं दी जाती है, वहीं स्कूलों को व्यावसायिक दरों पर बिजली, पानी, संपत्ति और अन्य शुल्कों का भुगतान करना पड़ता है। ऐसे में यह सोचना जरूरी हो जाता है कि शिक्षा स्वास्थ्य, दूरसंचार और बिजली की भांति सेवा उद्योग का एक महत्वपूर्ण घटक हैं, जहाँ लाभकारी संस्थाओं के प्रवेश ने आम नागरिकों द्वारा उपभोग की जाने वाली सेवाओं की पहुँच और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में, इस क्षेत्र को अत्यधिक लाभान्वित किया है। विचार यह नहीं है कि सभी स्कूलों को लाभकारी संस्थाएँ बनना चाहिए, बल्कि गैर-लाभकारी और लाभकारी मॉडल के बीच चयन करने का विकल्प मौजूदा और साथ ही नए खुलने वाले स्कूलों के लिए उपलब्ध होना चाहिए।

6 विद्यार्थियों की फंडिंग करें, न कि स्कूलों का

शिक्षा क्षेत्र में सरकारी फंडिंग के लिए नया दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है, जिसमें फंड आवंटन और व्यय की इकाई "बच्चा" न कि "स्कूल" हो। वर्तमान में सरकार बजट बनाते समय प्रति बच्चा लागत की गणना करती है, लेकिन बजट का आवंटन और व्यय करते समय, फंड शिक्षा विभाग, स्कूलों जैसे संस्थानों के माध्यम से दिया जाता है। व्यय में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के अलावा, विद्यार्थियों की फंडिंग अधिक से अधिक विद्यार्थियों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए विभिन्न स्कूलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की सुविधा भी प्रदान करेगी। प्रतियोगिता का शुद्ध परिणाम शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

7 तृतीय पक्ष मूल्यांकन

तृतिय पक्ष मूल्यांकन को शिक्षा प्रणाली की स्वास्थ्य जाँच के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तृतीय पक्ष मूल्यांकन प्रणाली के भीतर कई गैर-निष्पादक और निष्पादक कारकों का सूत्र प्रदान करने की क्षमता रखता है। तृतीय पक्ष मूल्यांकन का एक सबसे महत्वपूर्ण लाभ प्रति बच्चा अधिगम आंकड़ों की उपलब्धता है। यह उच्च स्तरीय नीतिगत निर्णयों के साथ-साथ शिक्षकों और प्राचार्यों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली कक्षा स्तर की शिक्षाप्रदाय रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण सूत्र प्रदान करता है। वर्तमान प्रणाली में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) का दायरा तृतीय पक्ष मूल्यांकन निष्पादित करने के लिए सभी स्कूलों और उसमें नामांकित सभी बच्चों को अच्छादित करने के लिए बढाया जा सकता है।

8 शासन मॉडल: अलग विनियमन, वित्त और प्रदाय

वर्तमान में सरकार एक साथ नियामक, वित्तपोषक और सभी को शिक्षा प्रदाता की भूमिका निभा रही है। इस संरचना में कुछ प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं: सरकारी और निजी स्कूलों की स्वतंत्र और तटस्थ निगरानी की कमी, सरकारी स्कूलों के लिए अनुकूल व्यवहार, शिक्षा के वित्त पोषण में जवाबदेही की कमी। यह जरूरी है कि इन तीन भूमिकाओं को पृथक किया जाए और अलग-अलग संस्थाओं द्वारा संभाला जाए।

9 सार्वजनिक क्षेत्र में शैक्षिक आंकड़े

समय-समय पर केंद्रीय एजेंसियों (राज्य में और/या राज्य स्तर पर) द्वारा शैक्षिक आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। जहां अक्सर सार्वजनिक क्षेत्र में आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं, वहीं आंकड़ा संग्रह और आंकड़ों के प्रकाशन के बीच व्यतीत समय आंकड़ों की वैधता और उपयोगिता के संदर्भ में गंभीर चुनौतियाँ पैदा करता है। सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध आंकड़े प्रायः सामान्य नागरिकों, विशेष रूप से माता-पिता, की समझ में नहीं आने वाले स्वरूपों में होते हैं जो अपने बच्चों के लिए स्कूलों का चयन करते समय, स्कूलों से जवाबदेही, आदि की मांग करने के लिए इन आंकडों का उपयोग कर सकते हैं। यह जरूरी है कि प्रत्येक राज्य में प्रबंधन सूचना प्रणाली बनाई जाए और संपूर्ण स्कूल आंकड़ों को वेबसाइटों पर हर समय एकसमान स्वरूपों में देशी भाषाओं में उपलब्ध कराया जाए।

10 बी.एड. से पहले टीईटी

आरटीई अधिनियम यह अधिनियम लागू होने से पहले सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट देता है। हालांकि, यह निजी स्कूलों के शिक्षकों को केवल 5 वर्ष की छूट देता है। यह कानून समान रूप से सरकारी और निजी दोनों स्कूलों पर लागू किया जाना चाहिए। वर्तमान में टीईटी बी.एड. उत्तीर्ण करने वालों के लिए आयोजित किया जाता है। हम अनुशंसा करते हैं कि योग्यता परीक्षा के रूप में बी.एड से पहले टीईटी को आयोजित किया जाना चाहिए।

11 स्कूल वित्त निगम

स्कूली शिक्षा क्षेत्र में बुनियादी ढांचा संबंधी क्षमता की कमी है और सुविधा के निर्माण के लिए निवेश की आवश्यकता है। हालांकि, बुनियादी ढांचा निर्माण के लिए कोई निवेश सहायता उपलब्ध नहीं है। हम नए स्कूल बनाने या मौजूदा मानदंडों को पूरा करने के लिए मौजूदा स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के लिए कम ब्याज दर पर आसान ऋण देने के लिए 'स्कूल वित्त निगम' जैसे निकाय की स्थापना करने की सलाह देते हैं।

12 स्कूल परिवहन की सुरक्षा और संरक्षण

पंचायत या नगरपालिका के माध्यम से सरकारी स्कूलों के लिए भूमि का आवंटन किया जाता है। इसलिए आवासीय क्षेत्रों के निकट सरकारी स्कूल खुल जाते हैं। हालांकि, निजी स्कूलों के लिए आम तौर पर शहर के बाहर भूमि आवंटन किया जाता है और इसलिए निजी स्कूलों के पास छात्रों के लिए परिवहन की व्यवस्था करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता है, जिससे छात्र-छात्राओं पर लागत का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। साथ ही, दुर्घटना की स्थिति में, स्कूल के प्राचार्य को कारावास के दंड के साथ जवाबदेह ठहराया जाता है। स्कूल बस सुरक्षा नीति में सुसंगतता का अभाव है और नौकरशाहों की सनक और मनमर्जी के आधार पर दिशा-निर्देश दिए जाते हैं।.

13 स्वतंत्र विनियामक:

आज, देश भर में लगभग 40% बच्चे निजी स्कूलों में नामांकित हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। हालाँकि, निजी स्कूलों को शिक्षा नीति तैयार करने में निभाने के लिए लगभग कोई भूमिका नहीं मिलती है। सरकार नियामक की भूमिका निभाती है जो स्वयं भी एक सेवा प्रदाता है और इसलिए अभिकल्पना के अनुसार शिक्षा नीतियाँ निजी स्कूलों के प्रति भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण रखने वाली होती हैं। इसलिए, हम शिक्षा नीति तैयार करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की भांति स्कूलों के प्रतिनिधियों के साथ 'शिक्षाविदों' से मिलकर बनने वाले स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय की स्थापना करने की माँग करते हैं।

बहु-प्रतिक्षित एनईपी 2019

फादर जोसेफ मणिपद्म

राष्ट्रीय सचिव

सीबीसीआई, शिक्षा और संस्कृति कार्यालय
भारत का कैथोलिक बिशप सम्मेलन, नई दिल्ली

लंबे समय से प्रतीक्षित एनईपी (ड्रॉफ्ट) 2019 का दूसरा संस्करण एनडीए सरकार द्वारा दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण के अगले ही दिन तब सामने आया जब स्कूलों और कॉलेजों में गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं। सीबीसीआई शिक्षा कार्यालय ने दिल्ली में एनईपी के मसौदे का समीक्षात्मक अध्ययन करते हुए एक राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके साथ ही मसौदे के बाबत देश भर से प्रतिक्रियाओं को एकत्र करने और सरकार को प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन भी किया गया। एनईपी मसौदे को तैयार करने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि यह पॉलिसी गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेकिन यदि पहले से जाहिर की जा रही शंकाओं को दूर नहीं किया जाता है या किए गए वादों को पूरा नहीं किया जाता है, जैसा कि आमतौर पर सरकारी योजनाओं के साथ होता है, तो यह पॉलिसी पूरी तरह से फ्लॉप भी साबित हो सकती है। यह शैक्षणिक नीति होने के बजाय प्रशासनिक नीति अधिक प्रतीत होती है। नीति निर्धारण के दौरान शिक्षा की वर्तमान परिस्थितियों को जानने वाले मुख्य हितधारकों जैसे शिक्षकों, छात्रों, स्कूल/कॉलेज प्रबंधन और परीक्षा बोर्ड के सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण ऐसा होना लाज़मी भी था।

एनईपी 2019 मसौदे के अध्ययन के बाद कुछ समस्यामूलक प्रश्न हमारे समक्ष उभर कर आए जो निम्नलिखित हैः

क्या स्कूल कॉम्प्लेक्स और बेलगाम कॉपोरियईजेशन जैसी अवधारणा के साथ सरकार इस देश के बच्चों को शिक्षित करने की अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रही है?

एनईपी एक परीकथा सरीखा है जो अपनी क्षमता से अधिक का वादा करता है।

शिक्षा के अधिकार क्षेत्र को और अधिक विस्तारित करने का क्या तर्क है जबकि अबतक इसका कार्यान्वयन प्रतिशत एक अंक के आंकड़े से अधिक नहीं रहा है?

"ऑनलाइन सूचना" पर जोर क्यों? विशेषकर निजी संस्थानों के लिए!!

अल्पसंख्यकों को प्रदत सभी संवैधानिक अधिकारों (एसएमसी, शुल्क निर्धारण... आदि) वाले प्रावधानों की अनदेखी क्यों की गई है?

शिक्षा में सदियों पुराने ईसाई योगदान को एक बार फिर से नजरअंदाज क्यों किया गया?

ड्राफ्टिंग टीम में अल्पसंख्यक समुदायों के शिक्षा प्रदाता और निजी स्कूलों के ट्रस्टों व शिक्षकों को शामिल क्यों नहीं किया गया?

जैसा कि डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने कहा था,

"शिक्षा वह चीज है जिसे सभी की पहुंच में लाना चाहिए। इसके लिए निम्न वर्ग को ध्यान में रख कर उच्च शिक्षा को जितना संभव हो सके सस्ता बनाना चाहिए। यदि इन सभी समुदायों को समानता के स्तर पर लाना है, तो एकमात्र उपाय असमानता के सिद्धांत को अपनाते हुए निम्न वर्ग के लोगों के अनुकूल समाधान तैयार करना ही होगा।"

ज्योतिबा फुले, सावित्रीबा फुले, शहीद भगत सिंह, महात्मा गांधी, डॉ बी.आर अम्बेडकर, मौलाना ए.के. आजाद और थन्थाई पेरियार का भी यही मानना है कि, "शिक्षा को सभी के लिए सुलभ और सभी के लिए वहन योग्य बनाया जाना चाहिए"। क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 मसौदा उक्त कथन को आत्मसात करता है?

देश के सभी हिस्सों में आयोजित एनईपी मसौदा अध्ययन मीटिंग के दौरान सभी के जेहन में एक प्रश्न अवश्य होता था कि क्या हमारी प्रतिक्रियाओं से कोई फर्क पड़ेगा? क्या उनपर विचार भी किया जाएगा? सभी तरफ अविश्वास का माहौल है। लेकिन, हम आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ज्ञान की प्रबलता कायम रहेगी और लाखों बच्चों के भविष्य के बारे में विचार किया जाए।

सीखने में कमी की समस्या का खराब समाधान:
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा टाइटैनिक के डेक पर कुर्सियों को पुर्नव्यवस्थित करने जैसा

प्रो. गीता गांधी किंगडन
यूनिवर्सिटी कॉलेज, लंदन

काफी इंतजार के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2019 का मसौदा आखिरकार जारी हो ही गया। यह मसौदा 484 पृष्ठों का व्यापक दस्तावेज है जिसे तैयार होने में चार वर्षों का समय लगा। इस मसौदे में स्कूली शिक्षा के संबंध में व्यक्तिगत तौर पर सुझायी गई कुछ अति उत्कृष्ट सिफारिशें भी शामिल हैं। इन सिफारिशों में शिक्षकों के प्रशिक्षण और स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना, सरकार द्वारा नीति निर्धारक, संचालक, मूल्यांकनकर्ता और स्कूलों के नियामक सभी की भूमिका निभाने की बजाए इनके शासन की भूमिकाओं का पृथक्कीकरण आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा स्कूल संचालन और मूल्यांकन दोनों स्वयं करने के कारण हितों के भारी टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। चूंकि सरकार स्वयं ही स्कूलों का संचालन भी करती है इसलिए सरकारी स्कूलों की जवाबदेही तय नहीं की जा सकती है।

मसौदे में कई नकारात्मक पहलू भी हैं। एनईपी का मसौदा स्कूली शिक्षा में व्याप्त गंभीर समस्याओं के अप्रभावी समाधान प्रस्तुत करता है। एक, इसमें सीखने के स्तर पर कोई स्पष्ट ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है, जबकि सबसे पहले इसे ठीक किया जाना चाहिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य कारण छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार लाना माना जाता है लेकिन इस मसौदे में सीखने के स्तरों के बाबत चौंका देने वाले आँकड़ों का कोई हवाला तक नहीं दिया गया है।

दूसरा, यह खराब स्कूलों की मौजूदगी, अध्यापकों में जवाबदेही की कमी, अध्यापकों की अनुपस्थिति जैसी समस्याओं के समाधान के लिए किए जाने वाले प्रयासों की कमी जैसे शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त संकटों के कारणों की गलत व्याख्या करता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कि कमरे में मौजूद विशालकाय हाथी को देखकर भी अनदेखा करना। इसलिए, इस मसौदे में स्कूलों की जवाबदेही सुनिश्चित करने वाली संरचनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए अनिवार्य रूप

से कोई बड़ा मौलिक सुधार प्रस्तावित नहीं है। इसके बजाय, स्कूलों और अध्यापकों को जवाबदेह बनाने के लिए एनईपी बिना किसी शक्तियों वाले स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) का प्रावधान करता है। यह महज़ एक रूमानी अवधारणा भर ही है, क्योंकि आरटीई अधिनियम के तहत पहले से ही अनिवार्य किए गए एसएमसी अप्रभावी साबित हो चुके हैं।

बाकी दुनिया जहां स्कूल वाउचर (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डीबीटी) जैसे व्यापक सुधार वाले विचारों के साथ काम कर रही है, एनईपी का मसौदा इस पर विचार तक नहीं करता है। जबकि यह जवाबदेही सुनिश्चित करने वाले बड़े सुधार की धुरी बन सकता है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि भाजपा सरकार ने कई क्षेत्रों (किसान सब्सिडी, उज्ज्वला एलपीजी गैस सब्सिडी, आदि) में बड़े लाभ के लिए डीबीटी का साहसपूर्वक उपयोग किया है। यह लाभ सीधे नागरिकों–मतदाताओं को दे रही है, जो खर्च करने की शक्ति को प्राप्त कर प्रसन्नतापूर्वक उसका उपयोग कर रहे हैं। ऐसा कर 80 मिलियन फर्जी लाभार्थियों को रिकॉर्ड से हटा 1.1 लाख करोड़ रुपए की बचत करने में सफलता प्राप्त हुई। यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का एक महत्वपूर्ण कारण साहसपूर्ण कल्पनाशील सुधार के प्रति उनका साहस और इसे कठोरता से लागू करना है।

आरटीई अधिनियम के तहत वंचित तबके के बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रतिपूर्ति के तौर पर निजी स्कूलों को सरकारी धन देते समय उसी प्रकार की चोरी का खतरा उपस्थित रहता है। वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों और शिक्षा अधिकारियों की मिलीभगत से आरटीई प्रतिपूर्ति के नाम पर 600 करोड़ रुपये के गबन का खुलासा हुआ था।

संशोधित एनईपी, वंचित बच्चों की शिक्षा के लिए सार्वजनिक अनुदान को रिसाव वाली सरकारी संरचना के माध्यम से निजी स्कूलों को देने की बजाए डीबीटी के माध्यम से देने पर गंभीरता से विचार कर सकती है जिससे अभिभावकों को स्वयं स्कूल चुनने की स्वतंत्रता भी प्राप्त होगी। आम तौर पर, डीबीटी का उपयोग शिक्षा के लिए सभी सार्वजनिक सब्सिडी देने के लिए मोड के रूप में किया जा सकता है जिससे करोड़ों अभिभावकों के पास स्कूल चुनने और उन्हें जवाबदेह बनाने का अधिकार मिलेगा। केंद्र सरकार पहले से ही ऐसा करती है जब वह सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को शिक्षा के लिए 2,250 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा डीबीटी (छात्रवृत्ति) देती है।

एनईपी असमान रूप से छोटे सरकारी स्कूलों (अध्याय 7 हल्के फुल्के तरीके से यह बताता है कि देश के सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के 28% में 30 से कम छात्र हैं) की समस्या की पहचान तो करता है, लेकिन यह सरकारी स्कूलों के खाली होने के कारणों का निदान नहीं करता है जिससे ये स्कूल शैक्षणिक और आर्थिक दोनों रूपों में अव्यवहारिक हैं।

डीआईएसई के आधिकारिक आंकड़ों के विश्लेषण से मुझे पता चला कि वर्ष 2010–11 और 2017–18 के बीच, सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में होने वाले दाखिलों 2.4 करोड़ छात्रों की कमी आई जबकि मान्यता प्राप्त निजी गैर–सहायता प्राप्त स्कूलों में 2.1 करोड़ छात्रों की वृद्धि दर्ज की गई (माना जाता है कि बाकी छात्र संभवतः गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में जा रहे हैं जो डीआईएसई के आंकड़ों में शामिल नहीं हैं)। यह तो तय है कि सरकारी स्कूलों में दाखिलों में आई कमी का कारण इस आयु वर्ग के बच्चों की आबादी में कमी आने के कारण नहीं थी क्योंकि उसी समयन्तराल (2009 से 2014 के बीच) एमएचआरडी द्वारा कमीशन किए गए आईएमआरबीत के सर्वेक्षणों के अनुसार जनसंख्या में 4.3% की वृद्धि हुई थी।

2017–18 तक 20 प्रमुख राज्यों में 41% से अधिक सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 50 या उससे कम छात्र दाखिल थे जबकि प्रति विद्यालय पढ़ने वाले छात्रों की औसत संख्या 27.9 थी। इन स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों का अनुपात 1::12 था जो यह बताता है कि इन स्कूलों में अध्यापकों की संख्या जरूरत से बहुच ज्यादा है। वर्ष 2017–18 में उपरोक्त 41% सरकारी स्कूलों में सरकारी खजाने से अकेले शिक्षकों के वेतन पर 51,917 रुपये प्रति छात्र खर्च किया गया। यह राशि उसी वर्ष भारत की प्रति व्यक्ति आय के 45% और बिहार की प्रति व्यक्ति आय के 134% के बराबर थी। इस प्रकार संसाधनों की कमी और उच्च छात्र–शिक्षक अनुपात के कारण शिक्षा की गुणवत्ता खराब होने की दलील बिल्कुल तर्कहीन है। शिक्षा में सुधार के लिए अधिक संसाधनों की मांग करने वालों से पहले भयावह अक्षमता को अनिवार्य रूप से सुधारने के लिए कहा जाना चाहिए।

एनईपी के मसौदे ने सरकारी शिक्षा को प्रभावित करने वाली अक्षमता की जड़ अर्थात् स्कूलों और शिक्षकों की जवाबदेही की कमी को नजरअंदाज किया है। यह कमरे में हाथी की मौजूदगी को नजरअंदाज करने जैसा है। जब तक इस हाथी को देखा नहीं जाता है और स्कूलों को डीबीटी फंडिंग के माध्यम से नियंत्रित नहीं किया जाता है, एनईपी की अच्छी नीयत और अत्यधिक श्रम से तैयार किए गए प्रावधानों का परिणाम शून्य ही होगा।

कई अन्य राज्यों में भी पिछले पांच वर्षों के दौरान छात्रों के एनरोलमेंट में काफी गिरावट आई। हरियाणा में 0.4 मिलियन की, हिमाचल प्रदेश में 0.16 मिलियन की, जम्मू और कश्मीर में 0.18 मिलियन की, झारखंड में 0.86 मिलियन की, केरल में 0.21 मिलियन की, मध्य प्रदेश में 2.6 मिलियन की, महाराष्ट्र में 1.4 मिलियन की, ओडिसा में 0.6 मिलियन की, पंजाब में 0.09 मिलियन की और कर्नाटक में 2010–11 से 2015–16 के बीच 0.5 मिलियन की गिरावट आई।

सरकार को किसी शिक्षा नीति की नहीं बल्कि स्पष्ट कार्य योजना की आवश्यकता है

अनिल स्वरुप
पूर्व शिक्षा सचिव
मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा हाल ही में समस्याओं से घिरा रहा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के पूर्व सचिव, अनिल स्वरूप, जिन्होंने शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने वाली समिति को इनपुट प्रदान किए थे, ने इससे जुड़ी कुछ बड़ी समस्याओं के बारे में प्रज्ञानंद दास से बातचीत की:

Q राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के प्रस्तुत मसौदे को लेकर आपकी क्या राय है?

सबसे पहले तो हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि यह कोई नई शिक्षा नीति नहीं है। यह उस नीति का मसौदा है जिसे भारत सरकार के द्वारा गठित एक समूह द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अब आते हैं पॉलिसी अर्थात नीति वाले प्रश्न पर। जहां तक मेरी प्रतिक्रिया का सवाल है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि वास्तव में सरकार को किसी पॉलिसी की आवश्यकता ही नहीं है। जिस चीज की आवश्यकता है वह है एक स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्य योजना अर्थात एक्शन प्लान की। क्योंकि एक मात्र चीज जो शिक्षा व्यवस्था से गायब है वह है योजनाओं का जमीन पर क्रियान्वयन का आभाव। कुल मिलाकर कहें तो समस्या की पहचान और उसका समाधान लगभग लगभग उपलब्ध है। इसलिए मेरा मानना है कि एक नीति विवरण यानि कि पॉलिसी स्टेटमेंट की बजाए हमें एक कार्य योजना की अधिक जरूरत है।

Q आपके हिसाब से इस पॉलिसी के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है?

इस देश में किसी योजना के फलीभूत होने के लिए उसका राजनैतिक रूप से स्वीकार्य होना आवश्यक है। शिक्षा नीति भी ऐसी ही एक योजना है। भाषा वाले मामले में हमने पहले ही राजनैतिक बखेड़ा होता देख लिया है। आगे अभी और राजनैतिक चुनौतियां उत्पन्न होनी बाकी हैं। इसके बाद बारी आती है सामाजिक वांछनीयता की। इसका तकनीकि तौर पर व्यवहारिक होना जरूरी है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसका वित्तीय तौर पर व्यवहारिक होना भी है। क्या हमारे पास धन है? प्रशासनिक स्तर पर भी यह किया जा सकने लायक होना चाहिए। प्रस्तुत मसौदे में प्रशासनिक संरचना के संदर्भ में कुछ विचार सुझाए गए हैं – इनमें से कुछ किये जा सकने लायक हैं जबकि कुछ के जा सकने लायक नहीं हैं। इसका न्यायिक तौर पर भी तर्क संगत होना आवश्यक है क्योंकि मसौदे

> "मुझे लगता है कि आरटीई ने हमें अच्छे से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। केवल कानून को अधिक वर्गों तक पहुंचाने से, यह कैसे मदद करेगा?"

में शिक्षकों के सेवा पूर्व प्रशिक्षण की बात भी कही गई है। आईए इसका सामना करें। इस देश में सबसे बड़ा रैकेट बीएड कॉलेजों का है। हमने उनके खिलाफ कार्रवाई करनी शुरु की लेकिन अदालत ने उसपर स्टे लगा दिया। इसीलिए, मैं कहता हूं कि प्रस्तुत नीति में जो कुछ सुझाया गया है वो पहले से ही ज्ञात है और निर्धारित किया जा चुका है। सवाल यह है कि इसे हासिल कैसे किया जाए? जब तक हम इस कारण को नहीं जानते कि यह काम क्यों नहीं कर रहा है तबतक हम इसका समाधान नहीं तलाश पाएंगे।

Q प्रस्तुत मसौदे में हिंदी को अनिवार्य भाषा के तौर पर शामिल किए जाने के मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं?

भाषा को लेकर मेरा निजी मत है कि इसे कभी भी किसी पर थोपा नहीं जाना चाहिए। कुछ भी जबरदस्ती थोपना अनुत्पादक हो सकता है जैसा कि भूत में हमने अनुभव किया भी है। यद्यपि वर्तमान में भी हमारे यहां त्रि–भाषा नीति है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है।

Q समीक्षकों का मानना है कि अंग्रेजी को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पहले हमें समझना होगा कि अंग्रेजी को अन्य भाषाओं की तुलना में अधिक महत्व क्यों दिया जाता है — हम बाजार की मांग और आपूर्ति वाले आंकड़ों को भूल जाते हैं। बाजार में लोगों की यह आम धारणा है कि जो लोग अंग्रेजी जानते हैं उन्हें अंग्रेजी न जानने वाले लोगों की तुलना में बेहतर नौकरी मिलती है। इसीलिए, यहां तक कि ग्रामीण इलाकों में भी आपको कई तथाकथित कान्वेंट स्कूल्स मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त तमाम सर्वेक्षणों के मुताबिक अंग्रेजी भाषा के कारण ही छात्र सरकारी स्कूलों की तुलना में प्राइवेट स्कूलों को चुनते हैं। मैं यह नहीं कहता कि यह सही या गलत है। लेकिन इन दिनों मार्केट में इसी की डिमांड है।

Q स्कूली पाठ्यक्रम और शिक्षण प्रशिक्षण के लिए शिक्षा नीति में 5+3+3+4 प्रारूप की बात की गई है। क्या आपको यह पहल सही लगती है?

देखिए, यह सिर्फ कॉस्मेटिक यानि कि ऊपरी रंग रोगन वाली बात है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि फार्म्युला 5+3+3+2 है या कोई और? सबसे पहले हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि हमारी शिक्षा प्रणाली में कहां गड़बड़ी है और फिर उसका समाधान निकालना चाहिए बजाए कि फार्म्युला लेकर आने की। हालांकि, प्री–स्कूल शिक्षण पर यहां जो जोर दिया गया है मैं उससे सहमत हूं। बच्चों के लिए प्री–स्कूल वाली शुरुआत अच्छी है। लेकिन फिर वही बात कि सरकार के पास तो पहले से ही ऐसी एक 'समग्र शिक्षा' नाम की योजना है, जिसमें प्री–स्कूल प्रशिक्षण शामिल है।

Q प्रस्तुत मसौदा में भारतीय मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने की बात भी की गई है।

मुझे भारतीय मूल्यों को अंतर्निविष्ट करने में कोई समस्या नजर नहीं आती है। लेकिन नीति का इससे क्या लेना देना है? मूल्यों का बढ़ना एक ज्ञात सूत्रीकरण है। उसके लिए आपको किसी नीति की जरुरत नहीं है।

Q आपके अनुसार, हमारी शैक्षिक प्रणाली में क्या कमी है?

शिक्षक वह धुरी हैं जिसके चारों ओर हमारी शिक्षा घूमती है। हमें शिक्षकों से संबंधित मुद्दों को देखना होगा। निजी स्कूलों के बारे में बात करते समय, वे एक मजेदार सुझाव देते हैं – शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कक्षा IX, X, XI और XII तक बढ़ाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आरटीई ने हमें अच्छे से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। केवल कानून को अधिक वर्गों तक पहुंचाने से, यह कैसे मदद करेगा?

Q नए मानव संसाधन विकास मंत्री के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र क्या होने चाहिए?

उनके लिए मेरा सुझाव यह होगा कि वह अपने पूर्ववर्ती प्रकाश जावड़ेकर द्वारा की गई पहल को आगे बढ़ाएं। उनके कार्यकाल के दौरान कुछ उत्कृष्ट पहल की गई थी। दूसरा, प्रत्येक राज्य के लिए अलग से कार्य योजना पर काम करना, उनके साथ बैठना, एक कार्य योजना को परिभाषित करना और यह पता लगाना कि संस्थागत और वित्तीय सहायता के मामले में उस कार्य योजना को लागू करने में क्या लगेगा। वह देने योग्य है। अधिक महत्वपूर्ण – उनके बिना मापदंडों को परिभाषित न करें क्योंकि प्रत्येक राज्य दूसरे से बहुत अलग है।

स्कूलों की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए बुलाएं

NISA
National Independent Schools Alliance

NIQSA
National Initiative of Quality Schools in Action

National Initiative of Quality Schools in Action

ASSESSMENT | ANALYSIS | IMPROVEMENT

Be a part of NIQSA Self Assessed Schools

Self Assessment of 600 Schools

An Initiative of NISA *for* Quality Improvement *in* Budget Private Schools

National Initiative of Quality Schools in Action (NIQSA)

NIQSA
National Initiative of Quality Schools in Action

Dear School Leader,

Our public education system has irretrievably broken down and is not producing the desired results. India ranked seventy-second out of 73 countries in the PISA (Program for International Students Assessment) ranking of 2010 by the OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). The Annual Status of Education Report (rural) 2016 released on 18 January 2017 has shown pathetic learning quality with only 25 per cent of children in grade III being able to read a grade II level text. Around 10 lakh out of 60 lakh teaching positions are vacant. According to a World Bank study, teacher absenteeism on any given day is as high as 25 per cent. Of the teachers who do come to work, a large proportion of them lack the motivation and skills to perform well. The victims are our children.

India has been growing and with increased purchasing power, the aspirations of people have risen. Parents want the best for their children and even poor parents, whose only hope to change their lives is through providing their children with good education, are choosing non-government schools.

National Initiative of Quality Schools in Action (NIQSA) is an initiative of National Independent School Alliance (NISA) quality wing dedicated towards holistic quality improvement of budget private schools in India.

As part of the initiative, NISA envisions to work towards improving the quality parameters on the following five key components:

The copy of self-declared expression of interest form can be downloaded from www.nisaindia.org/niqsa

If you wish to join the NIQSA, please contact us at **niqsa@nisaindia**.org or call us at
+91 **9899485667**, +91-11-**26537456/ 26521882/ 41607006/ 41629006**

Moving forward, NIQSA initiative will be involved in the following:

- Sign-up on Quality Charter
- Sign-up form for assessment
- Support third-party independent assessments
- Sharing of assessment reports confidentially with the assessed schools
- Developing a customized quality improvement plan for the assessed schools

निसा का सिंगापुर और लंदन प्रतिनिधि मंडल

NISA
National Independent Schools Alliance

CED FOUNDATION TRUST
A Training, Assessment, Consultancy & Franchise Unit

Best wishes to all NISA Delegates
4th International Conference on Futuristic Trends In Education
Singapore I 8th October, 2019

Dr. Kulbhushan Sharma
President, NISA

Mr. K. Tulasi Prasad
Vice President (Quality), NISA

Mr. Premchand Desaai
Treasurer, NISA

Mr. Amrit Sagar Mahajan
Educational Administrator
Lord Krishna Public School
Ambala, Haryana

Mr. Sushil Dhankar
Chairman
Hari Vidya Bhawan, New Delhi

Mr. Manan Budhraja
Managing Director
Mother Divine Public School, Delhi

Mr. Davinder Singh
Chairman
Angel Public School, Chandigarh

Mrs. Poornima Sharma
Principal
SBBM Model School, Haryana

Mr. Harjinder Singh Sanghera
Managing Director
Sh. GGS Convent School, Haryana

Mr. Gurunam Singh Sandhu
SMC Member
Sh. GGS Convent School, Haryana

Mr. Rajesh Bajaj
Director
DPS - Etawah, Kurukshetra

Mr. Bimal Kumar Gupta
Manager
Holy Heart Public School, Haryana

Mr. Vikas Gaba
Administrative coordinator
Navyug Senior Secondary School,
Kurukshetra

Mr. Ravi Kumar
Manager
O.K. Model School, Delhi

SSLC students in several schools yet to lay hands on textbooks

Private schools hold inter-state conference, highlight issues

'राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में हैं खामियां'

नई शिक्षा नीति पर शिक्षाविदों की बैठक में दिए सुझाव

Complicated rules of NEP-2019 will dominate private schools: JKPSA

एसएमसी गठित करने का सुझाव स्वायत्ता पर हमला : निसा

…नक स्कूलों के फीस एक्ट में संशोधन हो

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर मांगे सुझाव व आपत्तियां

…कारी नीतियों से निजी स्कूल चलाना मुश्किल: अतुल श्रीवास्तव

…raft education policy to undergo two …ounds of review before approval

…द्र सरकार की प्रस्तावित शिक्षा नीति पर निसा ने उठाए सवाल

…द्र सरकार की प्रस्तावित शिक्षा नीति पर उठाए सवाल

HC issues notice to state over schools violating RTE norms

निजी स्कूलों में फीस तय करने को बनी कमेटी

…का मसौदा नहीं भाया

…जी विद्यालयों की इकाई ने शिक्षा नीति की सिफारिशों को बताया स्वायत्तता विरोधी

…sends notice to three …for negative reviews

PARENTS SAY EXCESS FEE HIKE MADE THEM LAUNCH ONLINE CAMPAIGN

Pvt schools want govt to pay RTE quota money to parents

…सा ने विभिन्न राज्यों के नेताओं से की बैठक

पब्लिक स्कूलों के फीस एक्ट में संशोधन हो

निसा के एडवोकेसी कार्यक्रम

जून

एन आई एस ए राज्य संघ:ए पी एस ए– आगरा ने राष्ट्रीय शैक्षिक नीति (प्रारूप) 2019 पर संगोष्ठी का आयोजन किया
28 जून 2019
एपी एस ए, आगरा (उ.प्र.)

राष्ट्रीय शैक्षिक नीति (प्रारूप) 2019 पर संगोष्ठी
30 जून 2019
बनारस (उ.प्र.)

जुलाई

सांसदों और मंत्रियों के साथ एनईपी–19 पर बैठक आयोजन
2 जुलाई 2019
संसद, दिल्ली

एनईपी–19 पर शिक्षा संगोष्ठी
8 जुलाई 2019
पंजाब

राष्ट्रीय शैक्षिक नीति (प्रारूप) 2019 पर राज्य स्तरीय परामर्श।
10 जुलाई 2019
शिक्षा विभाग, हरियाणा

एन आई एस ए– डी ए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन
27 जुलाई 2019
गोवा

नई शिक्षा नीति का प्रारूप, 2019 पर सम्मेलन आयोजन
28 जुलाई 2019
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

अगस्त

राष्ट्रीय शैक्षिक नीति (प्रारूप) 2019 पर संगोष्ठी
2 अगस्त 2019
एल पी सवानी पब्लिक स्कूल, सूरत

राष्ट्रीय शैक्षिक नीति (प्रारूप) 2019
3 अगस्त 2019
रोज वैली पब्लिक स्कूल, दिल्ली

नई शिक्षा नीति, 2019 पर सम्मेलन आयोजन
25 अगस्त 2019
सिरसा, हरियाणा

एनआईएसए–डीएप्रषिक्षण ाकार्यक्रम आयोजन
26 अगस्त 2019
आंध्र प्रदेश

National Independent Schools Alliance

सितम्बर

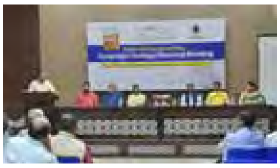

राष्ट्रीय शैक्षिक नीति अभियान रणनीति योजना निर्माण बैठक आयोजन
7 सितम्बर 2019
सी सी आई, दिल्ली

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, 2019 आयोजन
8 सितंबर 2019
आई आई सी, लोधी रोड, दिल्ली

विश्व साक्षरता दिवस समारोह आयोजन
9 सितंबर 2019
पैसिफिक मॉल, सुभाष नगर, दिल्ली

अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन "लैंगिक हिंसा" आयोजन
15 सितंबर 2019
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

द्वारका स्कूल, दिल्ली में एन रीड कार्यक्रम का शुभारंभ एवं पुरस्कार वितरण समारोह
16 सितंबर 2019
द्वारका, नई दिल्ली

राज्य सभा मीडिया ने राष्ट्रीय शैक्षिक नीति (प्रारूप) 2019 पर पैनल चर्चा का आयोजन किया है।
20 सितंबर 2019
श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, नई दिल्ली

फतेहाबाद जिला, हरियाणा में एन ई पी पर शिक्षा सम्मेलन–2019
21 सितम्बर 2019
टोहाना, फतेहाबाद, हरियाणा

अक्टूबर

शिक्षा सम्मेलन सिंगापुर में प्रतिभागिता
6 से 11 अक्टूबर 2019
रामदा होटल, सिंगापुर

भारतीय शिक्षण मंडल,दिल्ली के साथ एनईपी–19 पर नीति विषयक संवाद
11 अक्टूबर 2019
ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली

बिहार में शिक्षा रत्न पुरस्कार कार्यक्रम में प्रतिभागिता।
12 से 14 अक्टूबर 2019
पटना, बिहार